असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

16 अगस्त, 2016

षोडश विधान सभा		16 अगस्त, 2016 ई0
------------------	मंगलवार, तिथि	----------------------
तृतीय सत्र		24 श्रावण, 1938(शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया ।)

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है ।

माननीय सदस्यगण, षोडश बिहार विधान सभा का तृतीय सत्र दिनांक 04 अगस्त, 2016 को स्थगित हुआ था । इसके बाद लोक सभा सचिवालय से संसद के दोनों सदनों द्वारा यथापारित संविधान (एक सौ बाईसवां संशोधन) विधेयक, 2014 का अनुसमर्थन बिहार विधान सभा से शीघ्रातिशीघ्र कराए जाने का अनुरोध पत्र प्राप्त हुआ । इस विधेयक का अनुसमर्थन किए जाने संबंधी संकल्प सभा में प्रस्तावित करने की इच्छा की सूचना के साथ कुछ अन्य राजकीय कार्य के निष्पादन हेतु सभा का उपवेशन बुलाने संबंधी पत्र सरकार से प्राप्त हुआ । एतदर्थ, आज का यह उपवेशन आहूत किया गया है ।

आज की बैठक में सर्वप्रथम बहुचर्चित एवं बहुप्रतीक्षित वस्तु एवं सेवाकर से संबंधित संविधान (122वॉं) संशोधन के अनुसमर्थन हेतु राजकीय संकल्प प्रस्तावित होगा, जिस पर आप अपना विचार एवं मत रखेंगे । उसके पश्चात् बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2016 का व्यवस्थापन होगा । सदन की मर्यादा एवं अनुशासन के अनुरूप सूचीबद्ध कार्य निष्पादित करने में आप सबों का सहयोग अपेक्षित रहेगा ।

सभा सचिव ।

सभा सचिव: महोदय, षोडश बिहार विधान सभा के तृतीय सत्र में उद्भूत तथा बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा दिनांक 04 अगस्त, 2016 तक यथापारित कुल 13 विधेयकों में से निम्न 5 विधेयकों का विवरण सदन पटल पर रखता हूँ जिस पर महामहिम राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत अनुमति प्रदान की गई है : -

क्रमांक	विधेयक का नाम	अनुमति की तिथि
1.	बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2016	10.8.2016
2.	बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2016	10.8.2016
3.	बिहार विधि निरसन (जो आवश्यक अथवा सुसंगत नहीं रह गए हैं) विधेयक, 2016	11.8.2016
4.	बिहार मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2016	11.8.2016
5.	बिहार मोटर वाहन कराधान (संशोधन) विधेयक, 2016	11.8.2016

अध्यक्ष: अब सरकारी संकल्प । माननीय प्रभारी मंत्री, वाणिज्य-कर विभाग ।

संकल्प

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री: महोदय, "यह सभा भारत के संविधान के अनुच्छेद-368 के खंड (2) के परन्तुक (ख) एवं (ग) के अधीन संसद के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित "संविधान (एक सौ बाईसवां संशोधन) विधेयक, 2014" का अनुसमर्थन करती है ।"

महोदय, टैक्स का जो कंसेप्ट है, जब हमलोग पढ़ते थे स्कूल में, तो एक चर्चा बहुधा हुआ करती थी, बिहार की धरती में सबसे पहले एक कहावत थी चाइनीज यात्री जब आए थे, कि चाणक्य जब सरकार का काम करता था, राज्य का काम करता था तो दूसरा ढिबरी जलाता था और जब अपना काम करता था तो दूसरा ढिबरी जलाता था । माने हमें गर्व है कि इस बिहार की धरती पर हमलोग पैदा हुए, जहां राज्य के वित्तीय मामले की उपज, इससे पहले दुनिया में किसी भी राज्य में यह कल्पना नहीं थी । लेकिन वहां से कालान्तर में, कल हमलोगों ने 70वॉ इंडिपेंडेंस डे मनाया है, सत्तर साल हो गए, कई एक तरह के टैक्स का एक जंजाल जैसा एक नेटवर्क पूरे देश में और पूरे देश में ही नहीं, दुनिया के पैमाने पर, यह इस देश में पहली बार इतिहास का हिस्सा बन रहा है कि हमलोगों ने ग्लोबल कंसेप्ट डेवलप किया है कि पूरे देश में सभी जो राज्य हैं और केन्द्र है, उसके बीच में एक सामंजनपूर्ण, एक यथार्थवादी नीति अपनाई जाए कि अर्थ-व्यवस्था को भी नुकसान न हो और लोगों को, कंज्यूमर को सहूलियत भी हो और माल वगैरह की आवाजाही में जो अवरोध है, वह दूर किए जाएं, मुख्य रूप से इसके जो आधार हैं महोदय उसमें तीन बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं, जो पहली दफे इस विधेयक के द्वारा हो रहा है । यों तो महोदय, लोग कहते हैं कि दस-ग्यारह साल पहले यह रिसिव किया । पहली दफा 2007 के बजट पेशी में इसको पार्लियामेंट में रखा गया । अब माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि इसके पूरे इतिहास को, चूंकि 2005 तक दिल्ली से जुड़े हुए थे तो वो पूरी अपनी बात बतावेंगे, लेकिन एक उतार-चढ़ाव के बाद यह विधेयक पार्लियामेंट के द्वारा पारित किया गया कई एक अवरोध के, कई एक शंकाओं

और कई एक स्थितियों से गुजरते हुए लेकिन महोदय, एक अच्छा इसको माना जाना चाहिए क्योंकि पहली दफा यह जो फेडरल स्ट्रक्चर का देश है, अब किसी राज्य में कोई टैक्स का कंसेप्ट था, किसी में कुछ था । कहीं से सामान चलता था, कहीं पहुंचता था । उसका कोई अता-पता नहीं होता था । बल्कि महोदय, छठा-सातवां क्लास में हमलोग पढ़ते थे तो एस.डी.बर्मन का एक गीत बड़ा मशहूर हुआ था गंगा नदी पर - 'आए कहां से रे गंगे, जाए कहां, कोउ जाने ना ।' तो कहां से यह मैन्युफैक्चर होकर आता था और कहां यह पहुंचता था, किन राज्यों से होकर गुजरता था, कहां विलीन हो जाता था, यह स्थिति थी इस टैक्स के नेटवर्क से महोदय । भारत सरकार सर्विस टैक्स लगाती थी, राज्य सरकार गुड्स पर टैक्स लगाती थी लेकिन भुगतना तो पड़ता था अन्ततोगत्वा जो कंज्यूमर्स हैं, उसी के जिम्मे जाता था । वहीं से पैसे आते थे लेकिन बीच में कई तरह की परेशानियां थी तो अब गुड्स टैक्स को और सर्विस टैक्स एक जगह मिलाकर, इसीलिए इसका नामकरण किया गया जी.एस.टी. और इसमें दो-तीन बड़ी बातें हो रही है महोदय । पहली दफे यह जो ग्लोबली हो रहा है, दोनों टैक्स मिलकर एक साथ काम करेगा, पहले ये बातें नहीं थी । राज्य अलग अधिकार रखता था, अपना वह टैक्स लगाती थी, केन्द्र अलग लगाती थी और एक दूसरा जो बड़ा एचिवमेंट हो रहा है महोदय, एक बड़ी चीज हो रही है, जी.एस.टी. कौंसिल संवैधानिक दर्जा ले रही है । अब जी.एस.टी. कौंसिल का गठन का क्या स्ट्रक्चर पास हुआ है- भारत सरकार के फाईनान्स मिनिस्टर चेयरमैन होंगे और उसके स्टेट मिनिस्टर भी उसके मेंबर होंगे और सभी राज्यों के जो, फाईनान्स मिनिस्टर या टैक्सेशन मिनिस्टर या माननीय मुख्यमंत्री द्वारा नामित माने गवर्नमेंट द्वारा नामित कोई तीसरा आदमी उसका मेम्बर होगा । वन थर्ड वोटिंग राइट होगा भारत सरकार को और दो तिहाई होगा राज्य को लेकिन तीन चौथाई से जो जी.एस.टी. कौंसिल होगा, किसी मामले का निपटारा करेगा । मामले राज्य-राज्य के बीच में, केन्द्र-राज्य के बीच में, टैक्सेशन के पूरे, माने सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन जो पहले नहीं था । विभिन्न राज्यों का कोई एक जगह इकट्ठा होने का कि सभी टैक्स नेटवर्क के साथ सामंजन किया जाए, लोगों को सहूलियत हो, व्यापारी को भी परेशानी न हो उनको अपने खरीद माल बेचने में, मार्केट का भी डेवलपमेंट हो और कॉमर्स का भी विस्तार हो, रोजगार करने वाले लोग रोजगार ज्यादा पाएं । यह एक जगह कोई समेकित रूप से विचार-विमर्श का मामला आधार नहीं था । अब जी.एस.टी. कौंसिल सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाएगा और तीन चौथाई वोट से निर्णय करेगा जहां कोई डिस्प्यूट होगा महोदय ।

क्रमशः

टर्न–02/कृष्ण/16.08.2016

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : क्रमश : इसके साथ एक चीज और, लोग कहते हैं कि दुनियां के 111 या 112 लेकिन more than hundred देशों ने इसको पहले ही लागू कर रखा है । बल्कि आस्ट्रेलिया शायद 90–91 के दशक में इसको लागू किया । जो भी हो अब एक आधुनिक नेटवर्क/सौफ्ट वेयर का ईजाफा किया जा रहा है, लोग लगे हुये हैं, बहुत हद तक उसमें आगे बढ़ने की बात हो गयी है । जल्द ही उस पर निर्णय लिये जायेंगे । एक नेटवर्क से पूरा जोड़ा जायेगा । कहां से माल चला और कहां पहुंचा ? अब टैक्स में जो गड़बड़ी होती थी, उसमें काफी हद तक चेक करने का मौका मिलेगा । कंज्यूमर राज ज्यादा लाभान्वित होंगे क्योंकि चेक पोस्ट पर काफी कड़ाई के बावजूद भी डिफरेंट जगहों से लोग डिफरेंट जगहों पर चले जाते थे, कहीं कोई अता–पता नहीं होता था और व्यापारी लोगों को भी जो बही–खाते में डुप्लीकेसी की गुंजाईश होती थी, वह भी अब रूकेगा । सीधे–सीधे नेटवर्क के द्वारा जो नई टेक्नोलौजी है, उसके आधार पर कंज्यूमर राज को इससे लाभ मिलेगा । तो यह तीसरी सबसे बड़ी उपलब्धि है । पेट्रोलियम इससे अलग रखे गये हैं, एक्साईज वगैरह फिलहाल इससे अलग रखे गये हैं । लेकिन जी0एस0टी0 कौंसिल को यह अधिकार दिया गया है कि कालांतर में इसको भी अपने नेटवर्क के तहत डाला जा सकता है । साथ ही प्रारंभिक तौर पर जैसी कल्पना की गयी है, जैसे लोग एप्रेहेंड कर रहे हैं । एक–दो साल तक इस पूरे सिस्टम को ऑपरेट करने में, लागू करने में कुछ घाटा लग सकता है विभिन्न राज्यों को । इसके लिए जो एक शब्द shall था, जो प्रस्ताव आया था कि may five year, उसको चेंज करके एक शब्द shall को जोड़ा गया, जो हमलोगों की इम्पावर्ड कमिटी की बैठक हुई थी । एक और सवाल था जो इम्पावर्ड कमिटी की बैठक में मामला आया था कि कैपिंग किया जाय। कुछ पौलिटिकल पार्टी के लोग कह रहे थे कि कैपिंग किया जाय, लोगों को सुविधा होगी, इस विधेयक को लाने से लोगों में एक मैसेज जायेगा । अध्यक्ष महोदय, मैंने भी इस सवाल को उठाया था कि वित्त मंत्री जी बिहार का एक अलग भूगोल है । जहां हिमालय की वादियों में रहने के कारण कहीं बाढ़ आवे, न आवे, हमारे यहां बाढ़ आ जाती है और कर्क रेखा चूंकि गया के बगल से पास करता है तो कहीं पानी की किल्लत हो या न हो, अकाल हो या न हो, यह भौगोलिक स्थितियां हैं । राजस्थान की अलग स्थिति है । गुजरात की अलग स्थिति है । सभी लोगों ने सहमति व्यक्ति की कि विशेष परिस्थिति में राज्य को कौंसिल के परामर्श से अतिरिक्त टैक्स लगाने की छूट होनी चाहिए क्योंकि वह अतिरिक्त मामला होगा । यह भी क्लॉज उसमें निर्धारित किये गये हैं । इसके अलावा, महोदय, सबलोग मिल करके इस बात पर सहमति व्यक्त करेंगे क्योंकि पौलिटिकल मैनेजमेंट का हिस्सा होगा । पहले एक मांग थी कि जदयू की अध्यक्षता में एक सेपरेट संगठन बनाया जाय, जो हर डिस्प्यूट को तय करे लेकिन सहमति यह बनी कि

लोग चुनकर आते हैं और जनता ही कंज्यूमर हैं और व्यापार करनेवाले भी हमलोगों के वोटर हैं, इससे ज्यादे एकाउन्टेबुल कौन होगा ? क्यों इसमें जुडीशियरी को लाया जाय, अनावश्यक रूप से एक हेडेक पैदा किया जाय ? इसीलिये यह हुआ कि फाईनेन्स मिनिस्टर और all the States के representatives जो हैं, वे मिल करके एक ऑर्गेनाईजेशन बनाकर इस मामले का निर्णय करे और आपस में सहमति के आधार पर किये जाय ।

महादेय, अब मैं तीन-चार बातों की मुख्य रूप से चर्चा करना चाहूंगा । बहुत तरह की चर्चायें होती थी कि यह लाभ होगा, वह लाभ होगा । पता नहीं, लोग क्या-क्या बोलते थे । महोदय, इस देश में यह पहली दफे एक प्रयास है । एक साथ मिल करके राज्य और केन्द्र कैसे प्रयास करे कि हमलोग आगे बढ़े ? कई कठिनाईयां भी हैं । ऐसा नहीं कि बड़ा आसान काम है । It will take a time और कई तरह के सिस्टम को डेवलप करना, महोदय, आदमी-आदमी हुआ करता है, दुनियां में कभी कोई कानून,कोई कंसेप्ट, कोई विचारधारा कोई परफेक्ट आईटम हुआ ही नहीं । लेकिन जीवन का हिस्सा है, हम अनन्त की ओर चले जा रहे हैं । खोज भी होती है, चेंजेज भी होते हैं । कुछ कानून मरते भी हैं, कुछ नये कानून पैदा भी होते हैं, उसमें अमेंडमेंट भी होते हैं । अब यह 122वां अमेंडमेंट है संविधान का । जबकि कहा जाता है कि हिन्दुस्तान का संविधान लिखित में सबसे मोटा है और सबसे बेहतर है लेकिन 122 वां संशोधन लेकर हमलोग खड़े हैं । तो कहने का मतलब महोदय, कई तरह की चर्चायें और कई अर्थशास्त्री लोग, अब एक आदमी कल मुझको कह रहे थे कि भई, आपलोग क्यों इतना खुश हैं ? हमने कहा - क्यों ? तो क्या कंज्यूमर राज को मिलनेवाला है । बहुत सारे दुनियां के मुल्कों में बना और वहां फेल कर गया । हमने कहा भई, दुनियां जो बनी, अब हिमालय क्यों बना, समुंद्र क्यों बना, कौन इसकी गारंटी देगा ? कभी फेल करता है, कभी पास करता है, जीवन का यही प्रवाह है । लेकिन बहुत शक एवं सुबहा के बीच में, अब आज तक हमलोगों के यहां तय भी नहीं हुआ कि भगवान है या नहीं है, निराकार है कि साकार है। लेकिन डिबेट से दुनियां बनती नहीं, विचार को एक साथ समेकित कर के एक नई चीज को लाया गया है और महोदय, मुझे भरोसा है कि निश्चित रूप से कंज्यूमर से लेकर आम जनता तक क्योंकि अंततोगत्वा आम जनता के ऊपर ही यह टैक्स जाता है । भले ही, इन्डायरेक्ट टैक्स भले ही कहा जाय । कुछ टैक्सेज भारत सरकार का जैसे-इनकम टैक्स है। तो यह इन्डायरेक्ट टैक्स है, लेकिन बियर तो करता था वही । इसीलिए डिसटेंस डेस्टीनेशन पर कंज्यूमर को निश्चित तौर पर इसका अच्छा लाभ मिलेगा इस कानून के आ जाने से, इस संविधान संशोधन से । लेकिन इस संविधान संशोधन, एक गेट जो हर्डेल है, को क्रॉस करने का हमलोगों ने बड़ा काम किया ।

महोदय, अब तीन एक्ट और बनेंगे । दो को पार्लियामेंट करेगा और एक को फिर असेम्बली में आना पड़ेगा तो उस समय क्योंकि अभी तक कोई ड्राफ्ट आया नहीं कि क्या रेट होगा ? क्या होगा ? कौन-सी चीज होगा ? अभी तो मुकम्मल एक कानून का संवैधानिक व्यवस्था का पहली दफे राज्य और केन्द्र मिल करके जो अलग-अलग दायरा था, अलग-अलग अधिकार क्षेत्र थे, यह एक पहला प्रयास है, एक बड़ी सफलता है और इसके लिये सभी पार्टी के लोगों ने, यह भी इस देश की खासियत है महोदय, बहुत सारे विवाद के बावजूद राष्ट्रहित में, बड़े फैसले में सभी लोग एक स्वर में होते हैं । यही जी0एस0टी0 ऐक्ट का भी हश्र है कि सर्वसम्मति से लोगों ने इसको पारित करने का प्रयास किया है । इसलिीए मैं सदन से अनुरोध करूंगा कि इसको यहां भी, बिहार सर्वसम्मति से पारित करे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद ।

(परिशिष्ट द्रष्टव्य)

अध्यक्ष : माननीय प्रतिपक्ष नेता ।

श्री प्रेम कुमार,नेता,विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रभारी मंत्री,वाणिज्य-कर विभाग के द्वारा जो प्रस्ताव लाया गया है - "संविधान के अनुच्छेद 368 के खंड (2) के परन्तुक (ख) एवं (ग) के अधीन संसद के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित " संविधान (एक सौ बाईसवां संशोधन) विधेयक, 2014" का अनुसमर्थन करती है ।" का हम समर्थन करते हैं। महोदय, लंबे समय से, लंबे इंतजार के बाद, 16 वर्षों की लंबी यात्रा के बाद महोदय, देश का उच्च सदन राज्य सभा और लोक सभा से सभी दलों की सहमति से पारित हुआ जिससे देश में एक अच्छा मैसेज गया कि देश के हित में सभी राजनीतिक दलों ने राजनीति से ऊपर उठ करके समर्थन देने का काम किया । महोदय, आनेवाले समय में निश्चित तौर पर माननीय प्रधान मंत्री जी का जो पहल है, जो प्रयास है, हम थोड़ा इसके इतिहास में जाना चाहते है। जी0एस0टी0, गुड्स एण्ड सर्विसेज टैक्स 01अप्रैल,2017 से लागू होगा । माननीय प्रधान मंत्री जी ने आजादी के लंबे सफर के बाद टैक्स रीफौर्म के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और आनेवाले समय में महोदय, 16 वर्षों का जो सफर रहा, हम सदन को बताना चाहते हैं कि वर्ष 2000 में तत्कालीन प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जी0एस0टी0 के लिए उन्होंने एक कमिटी का गठन किया था और उसके बाद केलकर टास्क फोर्स ने जी0एस0टी0 पर अपनी रिपोर्ट दी थी और उस समय से प्रयास था, देश में टैक्स में जो विषमतायें थी, टैक्स में जो लीकेज था, जो सामानता नहीं थी, हर राज्य के अपने-अपने टैक्स हुआ करते थे और लंबे समय के बाद महोदय, एक अच्छा अवसर आया है इस देश के लिये और इस बिल को पारित कराने के लिये प्रधान मंत्री जी की जो भूमिका रही है, हम बिहार की जनता की ओर से माननीय प्रधान मंत्री जी को और माननीय वित्त मंत्री जी को कोटि-कोटि बधाई देना

चाहता हूं । जो काम पिछली सरकार नहीं कर पायी, उस काम को हमारी सरकार ने, सब को विश्वास में लेकर एक नया इतिहास लिखने का काम किया गया है ।

क्रमश :

टर्न: 03/राजेश/16.08.2016

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल, क्रमशः- हम कहना चाहते हैं महोदय कि यह बिहार एक कंज्यूमर स्टेट बनकर रह गया, आजादी के बाद कई सरकारें आयी, लंबे समय तक विभिन्न दलों को अवसर मिला लेकिन बिहार पिछड़ता गया विकास के दौर में महोदय और बिहार में जहॉ उद्योग लगने चाहिए थे, जहॉ बिहार प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ था, जब बिहार में झारखंड था, बंगाल, उड़ीसा था, बिहार को अच्छा मौका था आजादी के बाद लेकिन बिहार आगे बढ़ नहीं पाया । महोदय, हम कहना चाहते हैं कि आज बिहार की स्थिति काफी पीछे हैं, जो हमारा विकास दर है महोदय, वह कम रहा है, हम पिछले वित्तीय वर्ष का बताना चाहते हैं कि पिछले वर्ष में जो हमारी टैक्स की उगाही हुई थी, उस टैक्स में कमी आयी है । चालू वित्तीय वर्ष में महोदय टैक्स को हम देखते हैं तीन महीने का, जो पिछले साल का था, जो राशि बिहार को प्राप्त हुआ था, आज हम बताना चाहते हैं महोदय, वह जहॉ पर पिछले वित्तीय वर्ष में 5733 करोड़ की राशि बिहार को प्राप्त हुई थी, वह चालू वित्तीय वर्ष के तीन महीने में घटकर 3754 करोड़ हो गये हैं तो महोदय, हम कहना चाहते हैं इस बिल के माध्यम से कि राज्य के गरीब और देश के जो गरीब लोग हैं, देश की बड़ी आबादी जो गरीबों की है और सरकार के द्वारा जो पहल किया गया है, इससे सबसे बड़ा लाभ जो होगा वह है कि गरीबों के उपयोग में जो आने वाली वस्तुएँ हैं, उसको जी0एस0टी0 से बाहर रखा गया है । हम बताना चाहते हैं, बहुत तरह की बातें आ रही हैं, हम साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के पहल पर ऐसे वस्तुओं को जो देश के गरीबों के लिए आने वाली वस्तुएँ थी, उसको बाहर रखने का काम किया और साथ ही साथ जो खाने की वस्तुएँ हैं, जो दवाएँ हैं, जो हर व्यक्ति के लिए जरुरी है, उसको भी जी0एस0टी0 के दायरे से बाहर रखने का काम किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की चिंता है कि जी0एस0टी0 के माध्यम से देश के अर्थ-व्यवस्था में एक गति मिलेगी और बिहार को इसका लाभ होगा । जैसा कि हम बता चुके हैं कि बिहार कंज्यूमर स्टेट हमारा है, बिहार में ज्यादा उद्योग नहीं है, तो पॉच वर्षों में और आने वाले समय में निश्चित तौर पर जैसा कि माननीय मंत्री श्री विजेन्द्र यादव जी कह रहे थे, आशंका व्यक्त कर रहे थे, पूरा हमें विश्वास है, दुनिया के कई देशों में महोदय यह लागू हुआ है और काफी सफल रहा है और काफी मंथन विचार के बाद देश का हमारा उच्च पंचायत लोक सभा और राज्य सभा में काफी विचार-विमर्श के बाद देश

के राज्यों के द्वारा देश का पहला राज्य असम के द्वारा वहॉ के विधान सभा में इस बिल को पारित करने का काम किया है और आज बिहार को अवसर मिला है, आज हम सब मिलकर राज्यहित में दलगत राजनीति से उपर उठ करके राज्यहित में एक जुट हो करके भारत सरकार ने जो फैसला लिया है और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो चिंता है देश के विकास के प्रति, उन्होंने पॉच एम का मंत्र दिया है कि देश की अर्थ-व्यवस्था में तेजी लाने के लिए एक है - मैन पावर, दूसरा है - मिशन, तीसरा है - मैटेरियल, चौथा है - मनी और पॉचवा है मिनट यानि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो चिंता है कि भारत देश हमारा एक बड़ा देश है और देश के अंदर विभिन्न राज्यों में विभिन्नताएँ थी, असमानताएँ थी, विसंगतियॉ थी, उसको दूर करने के दृष्टिकोण से जो यह पहल है, इसकी प्रशंसा जितनी भी की जाय, वह कम है, आने वाला समय में हमारे बिहार राज्य को निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि बिहार आज कहॉ खड़ा है महोदय, हम बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं, हम सब का दायित्व है और माननीय प्रधानमंत्री जी की लगातार चिंता रही है बिहार के प्रति, उनकी चिंता बराबर रही है और उसका असर दिखने वाला है । हमने देखा है, चाहे पैकेज के मामले में हो या अन्य मामलों में हो, पॉच वर्षों में बिहार को 13वीं वित्त में जो राशि मिली थी महोदय, आने वाले पॉच वर्षों में बिहार को ढ़ाई गुना राशि मिलने जा रही है । हम कहना चाहते हैं कि हम बिहार का विकास चाहते हैं, हम बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा शक्ति है कि बिहार आगे बढ़े, हर समय माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार के साथ खड़े रहते हैं, वे चाहते हैं कि बिहार का चौमुखी विकास हो, बिहार की बदहाली दूर हो, बिहार से गरीबी दूर हो, बिहार से बेरोजगारी दूर हो, आज बिहार की हालत क्या है महोदय ? देश के कई राज्य आजादी के बाद आगे बढ़ते गये लेकिन हम पिछड़ते गये, इसके लिए कौन जिम्मेवार है, किसकी सरकार थी, कौन सरकार में बैठे हुए लोग थे और अब आगे आकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहल किया है, इसलिए हम सब मिलकर सर्वसम्मति से इसको पारित करने का काम करें और हम कहना चाहते हैं कि इतने वर्षों तक बिहार को अंधेरे में ले जाने वाले लोग ..... (व्यवधान)

अध्यक्ष:- शांति-शांति ।

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल:- महोदय, जी0एस0टी0 बिल आने से जहॉ छोटे उत्पादकों को इसका लाभ मिलेगा, सुरक्षा की गारंटी मिलेगी, बिहार के लिए अच्छा अवसर है भाई वीरेन्द्र जी, आप कहॉ ले जाना चाहते हैं बिहार को.....(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष और सभी माननीय सदस्यगण, आप सभी जानते हैं, एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के अनुसमर्थन पर हमलोग चर्चा कर रहे हैं और इसको जितना सौहार्दपूर्ण माहौल में आपलोग पारित करेंगे, उतना ही अच्छा संदेश जायेगा ।

श्री प्रेम कुमार, नेता, विरोधी दल:- अध्यक्ष महोदय, हम कहना चाहते हैं कि जी0एस0टी0 से छोटे उत्पादकों को उससे सुरक्षा मिलेगा साथ ही साथ, जी0एस0टी0 का मतलब है कंज्यूमर इज दी किंग । उपभोक्ता को फायदा होगा, जो बड़ी संख्या में देश के अंदर में उपभोक्ता विभिन्न राज्यों में जा करके हैं और साथ ही साथ लोकतंत्र की उच्च परम्पराओं का यह विजय है कि सारे दलों ने एक होकर लोक-सभा एवं राज्य-सभा में इस बिल को पारित करने का काम किया है और घबड़ाने की बात नहीं है, घबड़ाइये नहीं, अच्छा दिन आने वाला है और इसकी पहल हो गयी है और माननीय प्रधानमंत्री जी के पहल पर बिहार में अच्छे दिन का शुरुआत होने वाला है, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि सरकार तो हम नहीं बना पाये.....(व्यवधान)

अध्यक्ष:- अच्छे दिन आने वाले हैं और सदन का माहौल भी अच्छा रहे, इसका भी ख्याल रखिये।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री:- महोदय, मैं उम्मीद करता था, मैंने कोई पौलिटिकल छेड़छाड़ नहीं किया, चूंकि जितना सौहार्दपूर्ण और शानदार वातावरण में दोनों सदनों ने पारित किया, उसका ये यहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं कर पा रहे हैं । आपने जैसा कहा कि नंदकिशोर जी का तो कहीं असर नहीं हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कुछ कहा तो हमने कहा कि जब बगल में असर नहीं हुआ, तो हमपर कहाँ पर असर हो जायेगा .....(व्यवधान)

श्री नंद किशोर यादव:- लोकतंत्र में छेड़छाड़ बड़ा ही अच्छा होता है विजेन्द्र बाबू ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री:- महोदय, मैंने जिक्र किया केवल रेकार्ड के लिए कह रहा हूँ, सार्क के बजट को पेश करते हुए आदरणीय प्रणव मुखर्जी, संभवत: करेक्शन, उन्होंने ही इस विषय को सदन में पेश किया था, एट डैट टाईम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, स्वयं उन्होंने इस बार पार्लियामेंट में भी स्वीकार किया कि जब मैं राज्य में था, तो दूसरा व्यू था और जब देश में आया तो हमने देखा इसको । तो मध्य प्रदेश ने, छत्तीसगढ़ ने, तीव्र विरोध किया, जिसके चलते ये 9 साल तक लटका रहा, साथ ही प्रेम बाबू यह जिक्र करना उचित नहीं है कि असम पहला राज्य हुआ, 15 राज्यों का समर्थन चाहिए तब संविधान में संशोधन होगा, तो 13 ही राज्य में आपका चलती-बनती है, अगर अब भी प्रॉब्लम किये लेकिन हमें गर्व के साथ यह कहना पड़ता है कि आदरणीय .....(व्यवधान)

सुनिये तो, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि 15 राज्यों का साथ लेना पड़ेगा तो कौन अनुचित बात कहा, उसमें हमलोगों का भी साथ लेना पड़ेगा, विपक्ष को भी साथ लेना पड़ेगा और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ महोदय कि अभी भी लंबे रास्ते तय करने होंगे, अभी जो आप बड़ाई कर रहे हैं ।

टर्न-4/सत्येन्द्र/16-8-16

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री(क्रमशः): और प्रेम बाबू एक बात और भी समझिये, बहुत परेशानी में है, अगर राज्य सभा में सभी सहमत नहीं होते तो संविधान संशोधन के लिए दो तिहाई बहुमत चाहिए था, नहीं हो पाता इसीलिए सर्वसम्मत जब हुआ तो उस वातावरण को खराब करने की जरूरत नहीं है । ये पौलिटिकल चीजें नहीं हैं । इसीलिए मैं अनुरोध करूंगा और अध्यक्ष महोदय, मुझे गर्व है, हमारे मुख्यमंत्री जी जब दिल्ली में थे तब से लेकर आज तक जी0एस0टी0 के समर्थन में पहाड़ की तरह खड़े रहे हैं । इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमलोगों को गर्व है ।

श्री नन्द किशोर यादवः महोदय, विजेन्द्र बाबू आधी बात कहने के आदी है । मैं मानता हूँ इस बात को कि बिना सभी दलों के समर्थन के यह संभव नहीं था लेकिन आप एक बात भूल जाते हैं कि जब पहले की सरकार की थी तो उसने ईमानदारी से समर्थन जुटाने की कोशिश नहीं की । ये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का श्रेय है कि उन्होंने राज्यों की बात मानी और सभी का समर्थन जुटाने का काम किया । ये क्यों भूल जाते हैं आप ।

अध्यक्षः चलिये प्रेम बाबू, अब आप समाप्त कीजिये ।

श्री प्रेम कुमारः अध्यक्ष महोदय, हम कहना चाहते हैं इसके अच्छाईयों के बारे में, हम कहना चाहते हैं कि निश्चित तौर पर यहां लोकतंत्र है, अपनी बातों को रखने का सब को अधिकार है, मुझे काफी प्रसन्नता है, विजेन्द्र बाबू ने जो कहा है निश्चित तौर पर महोदय 15 राज्यों का समर्थन चाहिए । मुझे पूरा विश्वास है, सारे दलों ने मन बना लिया है और बिहार हमारा पीछे नहीं रहेगा और बिहार में भी हम एकजुटता का परिचय देंगे विकास के मामले में लेकिन जहां गड़बड़ी कीजियेगा, हम बोलेंगे भी, जहां पर आप ठीक से काम नहीं कीजियेगा, हम विरोध करेंगे । महोदय, प्रतिपक्ष का काम है सरकार पर नियंत्रण रखना । इसलिए हम अच्छे कामों का समर्थन करेंगे । महोदय, शराबबंदी के सवाल पर एकजुटता का परिचय हमने दिया, मुख्यमंत्री जी का हमलोगों ने साथ दिया लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जब कहा कि हम गांव में सामूहिक जुर्माना लगायेंगे तो हमने विरोध करने का काम किया । हमने कहा फैक्ट्री बंद कीजिये बिहार का, देश में क्या मैसेज जा रहा है बिहार का ? महोदय, सरकार के अच्छे कामों का समर्थन हमलोग करेंगे। इसका हमलोग विश्वास दिलाते हैं लेकिन जहां कमियां होगी भारतीय जनता पार्टी, एन0डी0ए0 पीछे भी नहीं रहेगा । चाहे इसके लिए जो भी कुर्बानी देना पड़े, हम देने के लिए तैयार हैं । महोदय, आने वाले समय में आज यह जी0एस0टी0 कर प्रक्रियाओं के सरलीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इससे कम से कम एक लाख चालीस हजार करोड़ रूपये के फिजूलखर्ची की बचत होगी, समय की बचत होगी, पैसे की बचत होगी,

जिसका लाभ देश को होगा, उसका लाभ राज्यों को होगा और जो प्रयास है, काफी इसका अच्छा माहौल होगा । हर जगह इसकी प्रशंसा हो रही है, हर आदमी इसका स्वागत कर रहा है और आज हम विधान-सभा में बैठकर एक ऐतिहासिक विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करने जा रहे हैं । हम नहीं चाहते हैं महोदय कि कोई ऐसी बात हो लेकिन विजेन्द्र बाबू हर बात में खड़े हो जाते हैं तो हम कहना चाहते हैं प्रेम कुमार किसी के कहने पर नहीं, नरेन्द्र मोदी के बताये रास्ते पर चलने वाला प्रेम कुमार है, उनके बताये रास्ते पर चलकर देश आगे बढ़ेगा और दुनिया में नाम जो आज देश का हो रहा है, भारत का डंका बज रहा है । महोदय, आज पूरी दुनिया में भारत की प्रशंसा हो रही है, उनके विकास के एजेंडों को सराहा जा रहा है और जी0एस0टी0 जो है, अपने आप में यह ऐतिहासिक पहल है । महोदय, यह एक क्रांतिकारी जो परिवर्त्तन हुआ है, यह एक क्रांतिकारी कदम है, हम बिहार की जनता की ओर से, बिहारवासियों की ओर से प्रधानमंत्री जी को हम कोटि-कोटि बधाई देते हैं और जेटली साहब जो हमारे माननीय वित्त मंत्री है, उनको भी हम बधाई देना चाहते है और सरकार में जो बैठे लोग हैं, उन सभी को बधाई देना चाहते हैं । महोदय, आज हम सब मिलकर इसको पास करेंगे, आज एक नया इतिहास लिखा जायेगा । हमने जो कहा, हमारी मंशा नहीं है, यह चिंता है, जब राज्य पिछड़ता है, हमने देखा है हमारे राज्य का जो विकास दर था, वह आज राज्य का विकास दर घटकर आधा हो गया है । जब भारत सरकार का सांख्यिकी विभाग ने चर्चा किया तो सरकार उससे भागने का काम रही है, सच्चाई को फेस करना होगा । महोदय, जी0एस0टी0 बिल के माध्यम से आने वाले समय में देश के गरीबों को, देश की बड़ी आबादी को इसका फायदा मिलेगा । वैसे प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के बीच में इस्तेमाल किये जाने वाले जो चीजें हैं, उसको जी0एस0टी0 के दायरे से बाहर रखने का काम किया है, दवा की और खाने की वस्तु की चिंता हमारे प्रधानमंत्री जी ने की है तो निश्चित तौर पर महोदय, आने वाले समय में देश के सभी राज्यों को और देश को इसका लाभ होगा । इससे देश की जो आर्थिक रफ्तार है, वह दुनिया में नरेन्द्र भाई मोदी की अगुआई में आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा ।

श्री सदानन्द सिंह: अध्यक्ष महोदय, संविधान के 122वें संशोधन विधेयक, 2014 के अनुसमर्थन पर हमलोग आज खड़े हैं निश्चित तौर पर माननीय मंत्री श्री विजेन्द्र यादव जी ने जो इस संशोधन के अनुसमर्थन का प्रस्ताव रखा, बड़े ही अच्छे ढंग से उन्होंने इसको हमलोगों के बीच रखने का प्रयास किया और अध्यक्ष महोदय, आपको तो स्मरण होगा कि इस जी0एस0टी0 बिल को यू0पी0ए0 की सरकार ने लोकसभा में लाया था और आर्थिक विशेषज्ञों की सलाह पर देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए यह विधेयक आना आवश्यक था लेकिन उस समय आपको पता ही है किस तरह भाजपा के लोगों ने विरोध कर दिया और उसको पास नहीं होने दिया । अध्यक्ष महोदय, यह कटु सत्य है कि कांग्रेस

ने आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका अदा की थी और देश को आजाद कराने के साथ-साथ देश के विकास में अहम भूमिका अदा की थी और उस परिप्रेक्ष्य में हम कांग्रेसजन कभी छोटी-छोटी बातों को देखते नहीं हैं, देश हित की बात को सोचते हैं और देश हित की बात सोचते हुए हमलोगों ने जिस स्वरूप में इस विधेयक को लाया था, उस स्वरूप को ही हमलोग रखना चाहते थे । उसी आधार पर इतने दिनों से सहयोग और पूर्ण समर्थन नहीं मिल पा रहा था । अंततः भाजपा की सरकार, केन्द्र सरकार झुकी और कुछ संशोधनों के साथ सर्वसम्मत यह विधेयक स्वीकृत हुआ । इसमें पूरे लोकतंत्र की जीत है और पूरे देश में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ी है भारत के प्रजातांत्रिक व्यवस्था की, विश्व के पैमाने पर भी इसकी प्रतिष्ठा काफी बढ़ी है । माननीय मंत्री जी ने एक बात ठीक कहा कि 100 से अधिक देशों में यह जी0एस0टी0 लागू है और उस देश की आर्थिक स्थिति काफी सुधरी है । इससे इस देश की भी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, कर वंचना रूकेगा और इससे काफी संसाधन भारत सरकार के पास उपलब्ध होगा और उससे राज्यों को जो हिस्सा मिलेगा । बिहार भी उससे निश्चित रूप से अधिक लाभान्वित होगा और बिहार का भी विकास होगा । हम यह कहना चाहते हैं, हमलोग निश्चित तौर पर आशान्वित है कि निश्चित रूप से बिहार को भी इसका लाभ मिलेगा और ठीक ही कहा है माननीय मुख्यमंत्री जी ने और उन्होंने पहले भी जी0एस0टी0 के समर्थन में काफी कुछ बयान दिये हुए थे और आज गौरव की बात है बिहार दूसरा राज्य है देश के पैमाने पर जो इसका अनुसमर्थन दे रहा है।

(क्रमशः)

टर्न-5/मधुप/16.8.16

..क्रमशः...

श्री सदानन्द सिंह : इसको यह स्वरूप से नहीं देखना चाहिये कि भा0ज0पा0 के लोगों ने बहुत कुछ कर दिया है । यह पूरा देश इसके साथ है और यह अच्छी बात हुई, इन्हीं लोगों के चलते रूका पड़ा था, हमलोग सब साथ हो गये, आज इस देश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी । हम कहना यह चाह रहे थे कि कुछ अर्थशास्त्री....

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : एक मिनट सदानन्द बाबू । गैर-एन0डी0ए0 राज्य में बिहार पहला राज्य होगा, जो स्पेशल सत्र बुलाकर इसको कर रहा है ।

श्री सदानन्द सिंह : निश्चित तौर पर । असम में तो इन्हीं की सरकार है, गैर-एन0डी0ए0 राज्यों में बिहार पहला राज्य है ।

हम यह कह रहे थे अध्यक्ष महोदय कि कुछ अर्थशास्त्रियों ने आशंका व्यक्त की है, समाचार-पत्रों में विवेचना आती है कि महँगाई बढ़ेगी लेकिन इसके लिये भी प्रावधान है, बहुत सारे प्रावधान हैं, जिससे महँगाई रोकने के लिये कोशिश की जायेगी ।

हम समझते हैं कि यह देश के हित में है, राज्य के हित में है और इसमें कहीं कुछ बात करने की नहीं है, अनुसमर्थन के लिये हमलोग सभी तैयार हैं । कांग्रेस विधान मंडल दल भी इसको पूर्णरूपेण समर्थन देता है । यह तो कांग्रेस का ही लाया हुआ विधेयक था, जिसको इनलोगों ने पास किया है । धन्यवाद ।

अध्यक्ष : श्री महबूब आलम । संक्षेप में अपना विचार रखियेगा ।

श्री महबूब आलम : महोदय, मैं इस जी0एस0टी0 बिल के विरोध में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ । महोदय, इस सदन में हमारे महान विद्वानों को जानकारी होगी कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के करीबी माने जाने वाले महान सांख्यिकीविद और अर्थशास्त्री पी0सी0 प्रशांत चन्द्र मोहला ने 1956 के आस-पास यह संकल्पना की थी कि हम पब्लिक सेक्टर के जरिये देश को एक ऐसी अर्थव्यवस्था देने की कोशिश करते हैं कि आने वाले दिन में देश की आम जनता को टैक्स देने की जरूरत ही नहीं पड़े । हमने यहाँ से शुरू की थी । आज पब्लिक सेक्टर की हालत क्या है ? भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिविधि क्या है ? मैं बिल्कुल यकीनन मानता हूँ जी0एस0टी0 बिल के जरिये एन0डी0ए0 की तरफ से साम्राज्यवादियों के इशारे पर इंटरनेशनल मोनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक के इशारे पर हमारे आर्थिक सम्प्रभुता पर हमला करने के लिये यह एक टैक्स टेरोरिज्म है, और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ।

अध्यक्ष : शीघ्र समाप्त करिये ।

श्री महबूब आलम : महोदय, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स हमसे लिये ही जाते हैं, वन-थर्ड डायरेक्ट टैक्स हमसे लिये जाते हैं, टु-थर्ड इनडायरेक्ट टैक्स हम देते हैं । वन-थर्ड तो डायरेक्ट टैक्स जो इंडस्ट्रीज और प्रोडक्शन कम्पनी से ली जाती है, आज जी0एस0टी0 के जरिये पूरी जनता से, आम जनता से गुड्स एण्ड सर्विस टैक्सेज के नाम से हमसे जो लूटने की छूट एन0डी0ए0 की सरकार के महान माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी जो कल इस टैक्स के विरोध में खड़े थे और आज इस टैक्स को लागू वे कर रहे हैं और इनकी सहमति यू0पी0ए0 से भी मिल चुकी है । महोदय, इससे महँगाई बढ़ेगी और पूंजीपतियों की पूंजी को विचलन करने...

अध्यक्ष : अब आप समाप्त करिये । जल्दी समाप्त करिये ।

श्री महबूब आलम : महोदय, हमलोग थोड़ा कम लोग हैं, हमारी बात जनता में जा रही है । महोदय, इससे प्रदेश की जो आर्थिक सम्प्रभुता थी, यह जो फेडरलिज्म का संघ है, यह फेडरलिज्म पर हमला है । प्रदेश में बहुत से छोटे-छोटे उद्योग-धंधे हैं जिनको प्रोत्साहन की जरूरत है, जिनको टैक्स में थोड़ी छूट देनी चाहिये । एक लंगड़े आदमी मजबूत आदमी के साथ दौड़ने की इजाजत हम नहीं दे सकते हैं । साम्राज्यवादियों के इशारे पर हमारे प्रदेश की जो आर्थिक सम्प्रभुता को कुंद करने की कोशिश हो रही है । इससे देश में एक बड़ा खतरा पैदा होगा । इससे महँगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी और हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी

से कहना चाहते हैं, आग्रह करना चाहते हैं कि इस सदन से एक विशेष सत्र इसपर बुलाना चाहिये – शिक्षा पर, चिकित्सा पर, गरीबी और बदहाली के आकलन पर, कृषि व्यवस्था पर और किसानों की परिभाषा तय करने के लिये जो भूमिहीन किसान हैं और जो बी0पी0एल0 से वंचित लोग हैं, उनको आज भी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है । इसके लिये लिये विशेष सत्र बुलाना चाहिये था ।

अध्यक्ष : समाप्त करिये । स्थान ग्रहण करिये ।

श्री महबूब आलम : यह जो कॉरपोरेट के इशारे पर यह बिल लाया गया है, मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ और बिहार की जनता के लिये और इस देश के फेडरलिज्म को मजबूत करने के लिये मैं पुरजोर ढंग से इस बिल का विरोध करता हूँ ।

(इस अवसर पर भाकपा माले के माननीय सदस्यगण ने सदन से बहिर्गमन किया)

अध्यक्ष : माननीय मुख्यमंत्री ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो संसद ने 122वाँ संशोधन पारित किया है, वह इस प्रकार का संशोधन है कि उसके लिये कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है । आज इस संविधान संशोधन के अनुसमर्थन के लिये सदन में संकल्प रखा गया है । यह जी0एस0टी0 से संबंधित संविधान संशोधन है – गुड्स एण्ड सर्विसेज टैक्स, वस्तु एवं सेवा-कर । जो हमारे टैक्स की प्रणाली है और जो संवैधानिक व्यवस्था आज की है, उसके मुताबिक टैक्स केन्द्र भी कलेक्ट करती है, ले सकती है और राज्य भी ले सकती है लेकिन इसका संविधान में बंटवारा किया हुआ है । जो स्थिति उत्पन्न हुई थी उसके चलते जो राज्यों में टैक्स लगते हैं और अलग-अलग प्रकार से टैक्स लगते हैं तो उसको लेकर देश में एक कॉमन मार्केट का बन पाना संभव नहीं हो पा रहा था । समय-समय पर टैक्स रिफॉर्म्स के लिये कई कदम उठाये गये केन्द्र की तरफ से और इस देश में बहुत चर्चाएँ होती रहीं हैं । 2002 में जब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तब केलकर कमिटी बनाई गई थी टैक्स रिफॉर्मस के लिये कि वह सुझाव दें। दुनियाँ भर के अनुभव को देखते हुये इस देश में भी, भारत में भी टैक्स रिफॉर्म्स लाकर गुड्स एण्ड सर्विसेज टैक्स की परिकल्पना की गई और उसी के आधार पर वित्तीय वर्ष 2006-07 में पार्लियामेंट में तत्कालीन केन्द्रीय वित्त मंत्री ने इसका प्रस्ताव रखा था और तब से इस मामले पर इस देश में बहस चल रही है ।

मैं शुरू में ही स्थिति स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि प्रारम्भ से ही जब से जी0एस0टी0 की बात हुई है और इसपर चर्चा होती थी इम्पावर्ड कमिटी में, देश भर के विभिन्न राज्यों के जो वित्त मंत्री होते हैं उनकी कमिटी होती है और उस कमिटी में भी इसपर चर्चा होती है, तो उस समय से ही प्रारम्भ से ही हमलोगों ने जी0एस0टी0 के जो

प्रावधान थे उसको समझते हुये सिद्धांत के तौर पर हमलोगों ने जी0एस0टी0 का समर्थन किया है कि ऐसा टैक्स होना चाहिये, एकरूपता आनी चाहिये । एकरूपता आनी चाहिये और इससे अभी तो केन्द्र और राज्य दोनों एक ही चीज पर टैक्स नहीं ले सकते हैं ।

...क्रमशः...

टर्न-6/आजाद/16.08.2016

..... क्रमशः .....

श्री नीतीश कुमार,मुख्यमंत्री : लेकिन अब इसमें संविधान संशोधन करके केन्द्र और राज्य दोनों ले सकते हैं । पहले जो सेवा कर था, सर्विस टैक्स, उसको केवल केन्द्र सरकार लेती थी, हमलोग नहीं ले सकते थे, राज्य सरकार नहीं ले सकती थी । अब राज्य के दायरे में सेवाकर भी आयेगा, सर्विसेस भी आयेंगे, इस प्रकार से संविधान का संशोधन आवश्यक था । इसलिए संविधान संशोधन लाया गया और इसमें अनेक धाराओं में, संविधान की विभिन्न धाराओं में संशोधन हुआ है । जब शुरू से ही यह प्रस्ताव आया सिद्धांत रूप में तो इसके कई पहलू पर हमलोग अपनी राय प्रकट करते रहे हैं । उस समय जब केन्द्र ने लाया था और उस समय जो जी0एस0टी0 पर बहस हो रही थी, उसमें बहुत सारे राज्य इससे असहमत थे । लेकिन हमलोगों ने जब इसका अध्ययन किया तो यह महसूस किया कि इसमें जो कंज्यूमर्स स्टेट है, उपभोक्ता राज्य है, हमारे यहां निर्माण कम होता है लेकिन हमारी आबादी बहुत बड़ी है । उपभोक्ता हमारे यहां ज्यादा हैं, हम किसी चीज का उपभोग करते हैं, कंज्यूमर्स हैं तो हमें इस नयी व्यवस्था से लाभ होगा, इसका हमलोगों ने आकलन किया और इस बात को समझा और तब से ही जो मैनुफैक्चरिंग स्टेट है, उनको कई प्रकार की आपत्तियां थी और आज भी आपत्तियां रही है और जो आपत्ति करने वाले राज्य हैं, वे जगजाहिर हैं । जैसे तमिलनाडु है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, इन सब राज्यों का विरोध चलता रहता था । मध्य प्रदेश का विरोध सैद्धांतिक प्रश्न को लेकर होता था कि साहेब हमारा यह टैक्स लगाने का अधिकार है, कई प्रकार की बातें बराबर वहां के मुख्यमंत्री जी पत्र भी लिखा करते थे । लेकिन जब हमलोगों ने पूरे मामले का अध्ययन किया और करवाया और कई विशेषज्ञों से राय-विचार किया तो प्रारंभ से ही हमलोगों को लगा कि बिहार को इसका समर्थन करना चाहिए । इसलिए इस बात का मैं उल्लेख करना चाहता हूँ कि जब इम्पावर्ड कमिटी बनी थी तो एक स्थिति ऐसी आयी जब आदरणीय प्रणव बाबू, जो आज भारत के आदरणीय राष्ट्रपति हैं, जब वे वित्त मंत्री थे तो इम्पावर्ड कमिटी का चेयरमैन कोई न कोई राज्य का वित्त मंत्री होता था तो उसमें हमलोगों की इच्छा थी कि हमारे राज्य के वित मंत्री उसके अध्यक्ष हों । केन्द्रीय वित मंत्री जी भी सहमत थे लेकिन कुछ कठिनाई थी क्योंकि तत्कालीन हमलोगों का गठबंधन बी0जे0पी0

के साथ था, हमलोग एक साथ थे, एन0डी0ए0 की सरकार चल रही थी तो कई राज्यों को, बी0जे0पी0 शासित राज्यों को एक रिजर्वेशन थे, उनका विरोध था लेकिन उसके बावजूद हमलोगों की सरकार, हमलोगों ने कहा कि हमलोग सरकार चलाते हैं और हमलोगों को इन्डेपेन्डेंट व्यू लेने का अधिकार है । इसलिए हमलोगों का आग्रह था, इसलिए इमपावर्ड कमिटी के चेयरमैन हमारे तत्कालीन वित्त मंत्री बने श्री सुशील कुमार मोदी जी और जी0एस0टी0 के पूरे काम में बिहार का योगदान शुरू से ही रहा । हमारे कतिपय मामलों पर अपने स्टैंड हैं, आज भी वह स्टैंड है, उसका उल्लेख मैं बाद में करूँगा । लेकिन जी0एस0टी0 अपने आप में एक महत्वपूर्ण चीज है । इसमें कई प्रकार के जिसका उल्लेख भी हमारे वाणिज्य कर मंत्री श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव जी ने भी किया कि एक तो ट्रांस्पेरेंसी का अभाव है, पारदर्शिता का अभाव है । कहीं किसी चीज का उत्पादन हुआ और वहां से माल चला और हमलोगों के राज्य में आया और जितने सामानों की बिक्री होती है , सारे सामान टैक्स नेट में आ नहीं पाते क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं, औपचारिक तौर पर व्यापार होता है, जिसका रजिस्ट्रेशन है और कई तरह से उसका जो वह टैक्स नेट में आते हैं । बहुत लोग हैं जो ऊपर-ऊपर कारोबार कर लेते हैं और सामान यहां बिक भी जाता है, मिल भी जाता है और उसका टैक्स नहीं मिलता है । यह सब लोगों को मालूम है कि टैक्स के प्रावधान है लेकिन आप देखियेगा कि बहुत सारे टैक्स लोग देते नहीं हैं और न कोई वसूलता है । आप कई बार जाईयेगा होटल वगैरह में भी जाईयेगा, कई जगहों पर, कोई एक क्षेत्र के बारे में चर्चा करने से कोई फायदा नहीं है। कई मामलों में आपको वह रसीद नहीं मिलता है और आपकी भी इच्छा है, कंज्यूमर भी सोचता है कि हम गये, पैसा दिया, सामान लिया और अब चलें, अब रसीद से क्या मतलब है, अब इस चीज का क्या मतलब है । इस प्रकार से आप देखियेगा कि यह जितना पूरा का पूरा ट्रेड है, छोटा, मंझला या बड़ा, हर प्रकार के क्षेत्र में आप देखियेगा कि बहुत सारे जो व्यापार हैं, वो टैक्स नेट में नहीं आ पाते थे तो इसमें एक ऐसी व्यवस्था हो रही है और नई आई0टी0 प्रणाली का विकास किया जायेगा । इस जी0एस0टी0 के साथ एक ऐसा कंसेप्ट है कि माल कहीं से चल रहा है और माल कहीं जा रहा है तो हर चीज उसमें स्पष्ट रहेगी । यानी पूरी पारदर्शिता रहेगी, कोई सामान कहां गया, आप मान लीजिए कि कोई व्यापारी के यहां गया और वह अपना नाम नहीं देकर के कुछ फौल्स किया लेकिन इसमें ऐसी व्यवस्था है कि वह चलेगा ही और किस राज्य में गया, उसकी जानकारी है और उसी के आधार पर उसका टैक्स कट जायेगा । इसलिए इसको कहिए बोलचाल के भाषा में कि दो नम्बर का जो कारोबार है और यह बहुत बड़ा कारोबार है और इस दो नम्बर के कारोबार से ही काला धन भी पैदा होता है । यह जब जी0एस0टी0 लागू होगा और इसकी ऐसी प्रणाली है, नई आई0टी0 प्रणाली के जरिये, सभी चीजें टैक्स नेट में आयेगी, इससे हमलोगों को उम्मीद है । इसका जो कनसेप्ट है,

जो पारदर्शिता का कनसेप्ट है तो इसके चलते हरेक प्रकार का व्यापार यानी कहां उसका निर्माण हुआ और कहां वह बिका, यह सब उसमें स्पष्ट तौर पर आयेगा, अंकित हो जायेगा और जो डेस्टीनेशन है, जहां वह गया है, वह जिस राज्य में है, वह उस राज्य के लिए टैक्स कट जायेगा । हो सकता है कि कौन बेच रहा है, यह भले ही प्रकट नहीं हुआ हो लेकिन किस राज्य में बिका है, यह प्रकट हो गया और टैक्स हमें मिल गया । इस प्रकार से टैक्स नेट में सारे व्यापार आ जायेंगे तो सबसे पहला फायदा होने जा रहा है पारदर्शिता के कारण, जिसके चलते प्रारंभ से ही हमलोगों ने इस बात का समर्थन किया और पारदर्शिता आने से सबसे बड़ा फायदा होगा कि हमारे यहां माल बिकता है, वस्तुएं बिकती हैं, गुड्स बिकते हैं तो यहां ही टैक्स, यही हकदार होगा, यही राज्य हकदार होगा टैक्स का तो हमारे लिए सबसे बड़ा फायदा होगा । आज तो उतने ही उसी व्यापार पर हम टैक्स ले सकते हैं जिसपर हम टैक्स लेने के हकदार हैं और जो घोषित व्यापार है, उसी पर अभी हम टैक्स ले पा रहे हैं । कहीं न कहीं मैनुफैक्चरिंग हो रही है और यहां बिक भी रहा है लेकिन टैक्स नेट में वे नहीं आ पाते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि टैक्स नेट में वे आयेंगे । इस प्रकार से सबसे पहला फायदा यह हो जायेगा और दूसरी बात है कि जब सर्विसेस पर टैक्स लगेगा, अभी केन्द्र सरकार को अधिकार है अभी के व्यवस्था के मुताबिक लेकिन अब नई व्यवस्था में हमें सेवाओं पर भी टैक्स लेने का अधिकार होगा। मान लीजिए टेलीफोन सेवा है, टेलीकॉम सेवा है, कितनी बड़ी सेवा है । आप देख रहे हैं कि कितने लोग मोबाईल का इस्तेमाल करते है, कितनी बड़ी सेवा है, इसपर हम टैक्स नहीं ले सकते हैं । इस संविधान संशोधन के बाद यह राज्यों के भी अधिकार क्षेत्र में आ जायेगा तो टेलीकॉम की सेवा हो या इस प्रकार से और अन्य प्रकार की किसी भी प्रकार की सेवा को देख लीजिए । मान लीजिए रेल की सेवा है तो उसके चलते भी । जो लोग यहां से यात्रा कर रहे हैं, उनका जो टैक्स है, कहीं बाहर जा रहे हैं या कोई माल बाहर से चलकर इस राज्य में आ रहा है तो उस पर हमको उसका टैक्स का जो हिस्सा होगा तो वह हमलोगों को प्राप्त हो जायेगा तो एक उदाहरण के तौर पर इस प्रकार से अनेक कतिपय सर्विसेस हैं, जिसपर टैक्स लगाने का अधिकार हमलोगों को मिलेगा और उसके चलते हमारी आमदनी होगी । नम्बर–1 पारदर्शिता के कारण, नम्बर–2 सर्विसेस भी लगाने का और नम्बर–3 सबसे बड़ी बात है कि इसमें पहले जो मैनुफैक्चरिंग स्टेट हैं, उनको लाभ था । लेकिन अब जो कंज्यूमर स्टेट है, उसके लिए स्थिति हो गई कि एक बराबरी की स्थिति आ गई और चौथी बात कि जो सबसे बड़ी बात है कि अलग–अलग राज्यों में कर अलग–अलग ढंग से निर्धारित होता था क्योंकि यह हमारे अधिकार क्षेत्र का मामला है । किसी राज्य में किसी वस्तु पर कुछ कर लग रहा है, दूसरे राज्य में दूसरा कर लग रहा है तो जो व्यपार जगत से जुड़े हुए लोग हैं, जो बिजनेस और ट्रेड की कम्यूनिटी है, उनको काफी परेशानी थी कि किसी राज्य में कोई ट्रेड करना है तो वहां यह टैक्स

देना है, किसी दूसरे राज्य में दूसरा टैक्स देना है और फिर अलग-अलग राज्यों से डील करना है । अभी इस व्यवस्था के होने के बाद सामान्य कर प्रणाली लागू हो जायेगी तो ऐसी स्थिति में और एक नेट में सबके सब लोग जुड़ जायेंगे तो इसलिए व्यापार का विकास होगा और उनको सहूलियत हो जायेगी तो जो उद्योग जगत के लोग हैं, उनको भी सहूलियत होगी । जो व्यापार जगत के लोग हैं, उनको सहूलियत होगी यानी बाजार का विस्तार होगा और जिसको आज हम कहते हैं Ease of doing business लोग यह चाहत रखते हैं कि हम बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन बिजनेस करने के लिए हमें सहूलियत होनी चाहिए । हमें लगातार 10 जगहों पर ऑफिसों का चक्कर नहीं लगाना पड़े। जो टैक्स लेना है, ले लीजिए, जो हमसे शुल्क लेना है लिया जाय लेकिन 10 जगहों पर जाना पड़ेगा, यह अच्छी बात नहीं है । इसके अलावे जब पारदर्शिता आयेगी तो आज जो हमारे कर से जुड़े हुए अधिकारी हैं और हमारा जो सिस्टम है, उसका काम आप से आप घटेगा, चूँकि हर चीज ऑनलाईन है, हर चीज एक आई0टी0 प्रणाली से जुड़ जायेगी तो कहां क्या मैनुफैक्चर हुआ और वहां से उसका मूवमेंट क्या हुआ, आज आप देखते हैं कि हमलोगों को कितना जगह बैरियर तो नहीं कहिए , मोहनिया वगैरह में चेक पोस्ट बनाना पड़ता है,

..... क्रमशः .....

टर्न-7/अंजनी/दि0 16.08.2016

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री ....क्रमशः... अब इंटरग्रेटेड चेक पोस्ट बनाइए और उसके चलते उसमें आपको कितना मेहनत करना पड़ता है । यह कोई गारंटी नहीं है कि चेक पोस्ट आपने बना दिया तो जो भी चीज जा रही है, बीच में गोरखधंधा भी तो होते रहता है तो चेक पोस्ट को बना देने मात्र से भी कुछ फायदा तो जरूर होता है लेकिन सारे जो वस्तु इधर-से- उधर जिसका आवागमन हो रहा है, उसका टैक्स आपको मिल ही जायेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है । अनेक जगहों पर आप चेक पोस्ट लगाइए, यहां जांच करिए तो अब इन सब चीजों की आवश्यकता खत्म हो गयी । सबसे बड़ी बात यह है कि माल का जो भी मूवमेंट होगा, गुड्स का जो भी मूवमेंट है, सब ट्रांसपेरेंट हो जायेगा तो कौन माल कहां से चला और कहां गया, जब इसकी जानकारी है तो फिर यह सब व्यवस्था करने की आवश्यकता ही नहीं होगी । चेक पोस्ट आदि के कई तरह के काम और फिर टैक्स के बारे में जो राज्य को अधिकार है, वह तो अधिकार है ही, जो टैक्स है वह भी मिल जायेगा कहां कौन सा माल आया । अब तो कोई छिपा सकता नहीं है तो इस प्रकार से इतना इसका लाभ होने जा रहा है और खास करके जो उपभोक्ता वाले राज्य हैं, उनको भी लाभ होगा, सब को लाभ होगा तो इन सब चीजों के मद्देनजर हमलोगों ने यह मुनासिब समझा कि प्रारम्भ से कि हम इसका विरोध करेंगे, अलग-अलग

कारणों से विरोध था, यानि कुछ राज्यों का जो मैनुफैक्चरर स्टेट हैं, जो मैनुफैक्चरर हैं, उनका विरोध था, उनका विरोध अपने कारणों से था, हम उनकी कोई आलोचना नहीं कर सकते हैं क्योंकि हर राज्य को यह अधिकार है कि अपने आर्थिक हित को देखे तो अपने आर्थिक हित के कारण कई राज्य खिलाफ थे लेकिन अन्ततोगत्वा धीरे-धीरे इस डिबेट से एक वातावरण बनता चला गया तो जो पहले पारित होना चाहिए था, वह नहीं हुआ, अब पारित हुआ है तो सबके सहयोग से पारित हुआ है । एक बात प्रेम जी कहना भूल गये कि कॉमन है बिहार का स्टेंड, आप हम जब साथ थे तब भी और आप उधर है तब भी। यह कॉमन स्टेंड शुरू से था । जब इसके बारे में अनेक बातें आयी हैं तो हमलोगों ने प्रारम्भ से ही कहा है जी0एस0टी0, लेकिन हमारे कुछ कनसर्न हैं, जिसका हम उल्लेख कर देंगे । चूंकि जब संविधान संशोधन के बाद अब कानून बनेंगे और अब इसमें प्रावधान किया गया है जी0एस0टी0 काउन्सिल का । इन्होंने ठीक बताया है, अभी तक जो तय हुआ है, जो जी0एस0टी0 काउंसिल है, उसकी अध्यक्षता करेंगे केन्द्रीय वित्त मंत्री । स्वभाविक है कि केन्द्रीय वित्त मंत्री, तो जो जी0एस0टी0 काउंसिल होगी, उसमें वेटेज डिसाइड हो गया और यह चीज तय हो गयी है कि भई, राज्य भी कर वसूलता है आज की तारीख में, आज की संवैधानिक व्यवस्था के मुताबिक राज्य भी कुल मिलाकर जो टैक्स कलेक्ट करते हैं और केन्द्र सरकार भी टैक्स कलेक्ट करती है तो राज्यों का थोड़ा ही ज्यादा है कुल मिलाकर लेकिन केन्द्र का है तो वहां पर उसका वेटेज रखा गया है कि केन्द्र का होगा 33 परसेंट और बाकी जो 66 परसेंट हैं, उसमें सभी राज्य बंट जायेंगे । बराबर का वेटेज मिल जायेगा, तो आपको लगभग 2.2 प्रतिशत् का वेट आयेगा, लेकिन अगर किसी चीज को पारित करना है तो उसके लिए 75 प्रतिशत की सहमति, एक तो यह आम सहमति से होगी । लेकिन मान लीजिए कि कोई एक राज्य विरोध करेगा तब तो आम सहमति नहीं हुई । तो वैसी स्थिति में यह प्रावधान किया जा रहा है कि केन्द्र का 33 परसेंट और राज्यों का बाकी 66 या 67 परसेंट और उनको राज्यों में विभाजित कर दिया जायेगा तो दोनों को मिलाकर मिनिमम 75 परसेंट सपोर्ट होना चाहिए, तब आप किसी चीज को पारित कर सकेंगे । तो **स्वाभाविक** है इससे एक ऐसी बात होगी कि कोई ऐसी हरकत नहीं हो जायेगी क्योंकि अपने आप में कुल मिलाकर बहुत ज्यादा है, अगर 10-12-13 राज्य भी अगर किसी चीज से असहमत हो जायेंगे, देख करके, मान लिया जाय कि अन्ततोगत्वा अब कोई कंज्यूमर स्टेट के खिलाफ कदम उठायेगा तो 10-12 कंज्यूमर स्टेट एक जगह इकट्ठा हो जायेंगे तो फिर उसको पारित करना संभव नहीं होगा। तो इसमें काफी चेक एण्ड बैलेंस की भी गुंजाइश होगी, ऐसी हमलोगों की अपेक्षा है। तो प्रारंभिक तौर पर जितनी बातें आयी हैं तो उसके आधार पर और जिसका मैंने उल्लेख किया कि हमें स्पष्ट रूप से दीखता है कि बिहार जैसे राज्य को इससे कोई नुकसान नहीं होगा, हम ऐसा समझते हैं कि इससे फायदा होगा और इसी आधार पर

पिछले दस वर्षों से बिहार इसका लगातार समर्थन कर रहा है, इस बार भी हमने समर्थन किया । कैपिंग की बात आयी तो ये मिल करके जी0एस0टी0 का कितना हुआ ? अब तो केन्द्र और राज्य दोनों लगायेगा । दोनों की हर चीज में हिस्सेदारी, गुड्स में भी हिस्सेदारी है और सर्विसेज में भी हिस्सेदारी है। तो अब वैसी परिस्थिति में हुआ कि कैपिंग, इसलिए हमलोगों ने प्रारंभ से ही कैपिंग का विरोध किया । तो हमने कहा कि कैपिंग हो जायेगा कि इतना परसेंट से आगे टैक्स लगेगा ही नहीं और यह संविधान में आ जायेगा तब तो कोई एक भयंकर परिस्थिति देश में होगी या किसी राज्य में होगी, जिसका जिक्र हमारे विजेन्द्र बाबू जी ने किया । मान लीजिए कि आपदा की स्थिति आ जाती है और यदि हमें अतिरिक्त टैक्स लगाना पड़ेगा तो अतिरिक्त टैक्स लगाना पड़ेगा तो फिर संविधान संशोधन उसके लिए होगा, तो यह बिल्कुल अव्यवहारिक बात थी । इसलिए प्रारम्भ से ही हमलोगों ने कहा और इस बात को कहा कि ठीक है वो जो दो ऐंगिल इसके बारे में होता है जो इकोनोमिस्ट हैं, जो अर्थशास्त्री हैं, वे मानते हैं कि बहुत ज्यादा आप टैक्स लगा दीजियेगा केन्द्र और राज्य दोनों मिलकर तो इससे महंगाई बढ़ सकती है, इनफ्लेशन बढ़ने का खतरा है, उनका कन्सर्न अपनी जगह पर है । लेकिन राज्यों को अपना काम करना है और विकास के कार्यक्रमों को लागू करना है तो विपरीत परिस्थिति में, आपदा की स्थिति उत्पन्न होती है तो वैसी परिस्थिति में आपदा प्रभावितों को सहायता प्रदान करनी है तो इसके लिए अनेक प्रकार के ऐसे खर्च, जिसके बारे में आप बजट तैयार करते वक्त कल्पना नहीं कर सकते हैं लेकिन बीच कार्यकाल में, बीच बजट की अवधि में आपके समय कुछ ऐसी समस्या उत्पन्न हो सकती है कि आपको अतिरिक्त संसाधन की जरूरत हो तो वैसी स्थिति में अगर इसपर कोई सीलिंग, कोई सीमा निर्धारित हो जायेगी तो वह बहुत अव्यवहारिक होगा । इसलिए प्रारंभ से हमलोग उसके भी हिमायती नहीं रहे । अन्ततोगत्वा हमें खुशी है कि इन चीजों पर बातचीत होते, अब इतना तो किसी को अधिकार दीजियेगा, जब कांग्रेस वाले लोग के नेतृत्व में सरकार थी तो मान लीजिए कि उस समय नहीं होने दिये तो कुछ दिन इनको भी लगा होगा कि हम भी अपना जरा दिखायें । यह सब तो चलता है लेकिन अन्तोगोत्वा, अंत भला तो सब भला । सबसे बड़ी बात है कि अभी हमलोगों को पूरे देश को, केन्द्र को, राज्य को बहुत मेहनत करना है । अभी तो सिद्धांत के रूप में यह हो गया कि जब ऐसी व्यवस्था लायी जा सकती है। अभी तो अध्यक्ष महोदय, संविधान संशोधन के बाद अब ये एक नयी कर प्रणाली की बुनियाद पड़ी । अब नयी कर प्रणाली के लिए जो संस्थागत व्यवस्था होगी, उसके कतिपय प्रश्न आयेंगे । हम तो इस बात का पूरे तौर पर समर्थन कर रहे हैं जी0एस0टी0 का, राजस्व में वृद्धि होगी, कर प्रणाली में जटिलता कम होगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में वृद्धि होगी, कर प्रशासन, कर अनुपालन में पारदर्शिता आयेगी और सम्पूर्ण राष्ट्र में कर व्यवस्था एकीकृत होने के कारण साझा बाजार के विकास में मदद मिलेगी, जिसका हमने

उल्लेख किया । इन कारणों से हमलोग जी0एस0टी0 का हिमायती रहें हैं और इस संविधान संशोधन विधेयक का हमलोगों ने समर्थन किया है, जो संसद से पारित हुआ है । अब लेकिन, चूंकि आज हमलोग इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं तो अपने स्टेट के कनसर्न को भी रेकॉड पर रख देना बहुत आवश्यक समझते हैं । वरन् कल होकर हमने समर्थन कर दिया उस सिद्धांत का, उसकी जो विशेषतायें हैं, हमने उल्लेख किया, आप सभी जानते हैं और इन विशेषतायें के चलते हम सब लोग सहमत हैं और इसका हम अनुसमर्थन करते हैं । लेकिन अब इसके आगे जो प्रक्रिया होगी, आगे बहुत कुछ होना है, जी0एस0टी0 काउंसिल के बारे में हमने केवल संक्षिप्त चर्चा की लेकिन उसके आगे बहुत सारे मसले होने वाले हैं, जिसका समाधान होगा । अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो व्यापारी हैं, अब यह प्रणाली लग गयी, अब दोनों को टैक्स लगाने का अधिकार हो गया, केन्द्र को भी और राज्य को भी । अब यह जो पारित होगा तो तीन तरह के कानून बनेंगे। एक तो सेंट्रल को बनाना पड़ेगा, सेंट्रल जी0एस0टी0 के लिए और फिर राज्यों को बनाना पड़ेगा स्टेट जी0एस0टी0 के लिए और फिर अन्तर्राज्य जो व्यापार होता है, इन्टर स्टेट उसके लिए भी केन्द्र को एक कानून बनाना पड़ेगा । अब जो यह कानून बनाना पड़ेगा इन्टर स्टेट जो होता है, उसका टैक्स केन्द्र वसूल करेगी और जिस राज्य का होगा, वहां उनके यहां ट्रांसफर हो जायेगा तो यह सब व्यवस्था आनेवाली है लेकिन इसमें अब एक है ऐसा विषय, जिसके बारे में निर्णय होना चाहिए । अभी जो इम्पावर्ड कमिटी की मीटिंग थी, जिसमें विजेन्द्र जी भी गये हुए थे और हमारे अब्दुल बारी सिद्दिकी साहेब भी गये हुए थे, सब लोग गये हुए थे, सभी राज्यों के लोग और कतिपय पश्चिम बंगाल के माननीया मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा हुई, अन्य कई लोगों से भी चर्चा हुई । एक जो व्यवस्था होनी चाहिए कि छोटे ट्रेडर ....

(क्रमशः)

टर्न-8/शंभु/16.08.16

श्री नीतीश कुमार,मुख्यमंत्री : क्रमशः.....अब चूंकि गुड्स पर टैक्स लेने का अधिकार केन्द्र को भी हो गया, पहले तो वह सिर्फ निर्माण पर लेते थे या बाहर से कोई माल आया तो उसपर आप टैक्स लगाये । यहां से कोई माल जा रहा है तो उसपर आप टैक्स लगाये तो जो भी हो, वह केन्द्र के अधिकार क्षेत्र में था। लेकिन अब तो सभी प्रकार के वस्तुओं पर कर लगाने का अधिकार हो गया यानी जो चार पांच चीजें इसके बाहर है- पेट्रोलियम प्रोड्क्स है, अल्कोहल जो शराब लोग पीने के मद में इस्तेमाल करते हैं, ऐसी कुछ चीजें उसके बाहर है । लेकिन बाकी सब चीजें तो आ गयी तो बाकी चीजें आ गयी तो केन्द्र भी टैक्स लेगा तो राज्यों की चिंता थी कि भाई ऐसा नहीं हो कि जो छोटे मोटे व्यापारी हैं

उनसे भी आप टैक्स लीजिए । यह बात तय हो गया अभी जो इम्पावर कमिटी है उसमें यह बात एक तरह से सारे राज्य के लोगों ने कह दिया कि डेढ़ करोड़ रूपये तक का जो व्यापार है उसमें वह केन्द्र का डोमेन नहीं होगा, वह राज्य का ही डोमेन होगा । हालांकि डेढ़ करोड़ भी कम है, बहुत कम है । तो छोटे व्यापार पर यह इस प्रकार का इतना कर का बोझ नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन अब सवाल है कि डेढ़ करोड़ के उपर अगर मान लीजिए इसमें आम सहमति उस दिन बनी हुई थी कमिटी की बैठक में- मान लीजिए इसको केन्द्र स्वीकार कर लेता है आगे की चर्चा में बाकी पर चर्चा होगी तो भाई कोई राज्य में व्यापार करता है और डेढ़ करोड़ तो बहुत छोटा व्यापार है, लेकिन उसके आगे जो व्यापार कर रहे हैं 50 करोड़, 100 करोड़ सबका व्यापार कर रहे हैं तो आज वह राज्य का जो कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट था उनपर जो कर लगता था उसका नियंत्रण राज्य सरकार के पास था, अब चूंकि उनको भी टैक्स लगाने का अधिकार हो गया तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि केन्द्र सरकार का जो टैक्स डिपार्टमेंट है वह भी आकर राज्य में यहां बैठे और वह भी डायरेक्टली उनपर नियंत्रण करे । इससे उनको फिर जो सुविधा होनेवाली है वह असुविधा में तब्दील हो जायेगी । इसलिए इस बात का निर्धारण हो जाना चाहिए कि राज्य के अन्तर्गत एक मिनिमम तो हो गया कि इसके नीचे का जो ट्रेडर है वह स्टेट का डोमेन है, स्टेट में है, लेकिन उसके उपर वाले भी ट्रेडर एक अच्छी खासी अधिसीमा उनकी निर्धारित होनी चाहिए कि वह कर प्रशासन के मामले में राज्य के अधीन रहेगा । राज्य की जो एजेन्सी है वही राज्य का भी टैक्स और केन्द्र सरकार का भी देय टैक्स वसूल करेगी और जिस प्रकार से केन्द्र इन्टर स्टेट टैक्स के मामले में वह राज्यों को पहुंचा देगी या राज्य के हक का जो पैसा वह वसूलेगी वह राज्यों को दे देगी । उसी प्रकार से राज्य सरकारें भी जो केन्द्र का हिस्सा है टैक्स की वसूली में वह उनको ट्रांसफर हो जायेगा सीधे, लेकिन यह नहीं होना चाहिए कि सेंट्रल कमर्शियल टैक्सेज जो बहुत बड़ा विभाग है वह अब हर जिले में और अनुमंडल में दफ्तर खोलकर और व्यापारियों पर तो बड़ा मुश्किल होगा- एक तो राज्य का टैक्स डिपार्टमेंट था ही उपर से सेंट्रल का भी टैक्स डिपार्टमेंट बैठ जायेगा, अब अगर कहीं कोई बात आ गयी तो एक उधर से छापा मारने जा रहा है एक इधर से छापा मारने जा रहा है तो उसकी सुविधा के लिए राज्य के अंदर, राज्य के टैक्स डिपार्टमेंट पर ही भरोसा करना चाहिए । यह हमलोगों का स्टैंड होगा आगे के दिनों में और ये व्यापार में लगे हुए लोगों को है । व्यापार जगत को किसी भी हाल में केन्द्र तथा राज्य सरकार दोनों के पदाधिकारियों के पास जाने की आवश्यकता न हो एवं कर प्रशासन को भी कर की ही भांति एकीकृत किया जाना होगा । अब जैसे टैक्स तो हम एक कर दिये पूरे देश में तो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को भी एक कीजिए । राज्य के अन्तर्गत जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है पहले से उसी पर भरोसा कीजिए और केन्द्र का पैसा वसूल करके केन्द्र को ट्रांसफर करेगा और राज्य का पैसा राज्य के खजाने में जायेगा तो

एक हमलोगों का ये पहला कंसर्न है और हमलोग ये स्टैंड लेंगे और अगर ऐसा नहीं होगा तो इस महत्वपूर्ण कर सुधार का उचित लाभ हमें नहीं मिल पायेगा तथा साझा बाजार में जो कहते हैं पूरे देश का कॉमन मार्केट हो उसके विकास में बाधाएं खड़ी होगी । ऐसे व्यापारी जो वर्तमान में केन्द्र सरकार के कर प्रशासन के दायरे में नहीं हैं उनपर किसी भी परिस्थिति में केन्द्र सरकार का प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित नहीं किया जाय । जो केन्द्र का टैक्स का हिस्सा है राज्य सरकार लेकर उनको ट्रांसफर कर दे- जैसे केन्द्र कई मामलों में वसूल करके राज्यों को ट्रांसफर करेगा वैसे राज्य पर भी ट्रस्ट होना चाहिए । ऐसे व्यापारियों के मामले में राज्य के क्षेत्रान्तर्गत केन्द्रीय जी0एस0टी0 का भी संग्रहण एवं प्रशासन राज्य सरकार के तंत्र द्वारा ही किया जाय एवं इस हेतु विक्रय की एक सीमा थर्स होल्ड निर्धारित हो जिसके अन्तर्गत पड़नेवाले व्यापारियों पर राज्यों का ही नियंत्रण हो, साथ में प्रशासन में लगे केन्द्र एवं राज्य के पदाधिकारियों का भी युक्तिकरण आवश्यक होगा । यह हमलोगों का स्टैंड होगा जिसको हमने एक्सप्लेन कर दिया । ऑन रेकार्ड हम इस बात को सदन में रखना चाहते हैं कि इसके बाद लागू हो जायेगा तो आगे जो चीजें चर्चित होगी और जिसपर निर्णय लिया जाना होगा तो हमलोगों स्टैंड नंबर-1 यह है । बाकी सब चीजें तो है कि कर के दरों का निर्धारण ऐसा नहीं हो जिसके कारण मुद्रा स्फिति में वृद्धि हो जाय । हम कैपिंग के खिलाफ हैं, लेकिन हम यह भी नहीं चाहते हैं कि टैक्स इतना ज्यादा लग जाय कि चीजों के दाम बढ़ जाएं और लोगों को नुकसान हो यह भी हमलोग नहीं चाहेंगे । फिर है तकनीकी बात है इनपुट टैक्स क्रेडिट की स्रृंखला को अबाध गति से चलाया जाना आवश्यक है, परन्तु यह ध्यान भी रखा जाना चाहिए कि व्यापार जगत द्वारा इसका दुरूपयोग न हो । राज्य जी0एस0टी0 के भुगतान में प्रयोग होनेवाले, प्रयोग किये जानेवाले अन्तर्राज्जीय जी0एस0टी0 क्रेडिट के प्रशासन पर राज्यों का नियंत्रण आवश्यक है ताकि इसके माध्यम से राज्यों को राजस्व की अल्पकालिक भी क्षति न हो । इस दृष्टि से जी0एस0टी0 प्रणाली में राज्यों को अधिकार प्राप्त होना चाहिए । इसके प्रशासन हेतु आइ0टी प्रणाली का इस प्रकार निर्माण किया जाय कि बैंक, बिजली कंपनियां, रेल, टेलीकॉम जैसे क्षेत्रों की संस्थाओं के डेटा बेस से इसे जोड़ा जा सके एवं मूल्य संवर्द्धन के सभी आयामों को जी0एस0टी0 नेटवर्क में लाया जा सके । ये सर्विसेज टैक्स के मामले में हमलोगों को इसमें सर्विस टैक्स मिलने की संभावना होगी जिसका हमने पहले ही जिक्र किया । हमने जिक्र किया था टेलीकॉम का और रेल का लेकिन बैंक भी हैं, पावर कंपनीज हैं ये सब इसके क्षेत्र में आयेंगे तो इस प्रकार की आइ0टी0 प्रणाली विकसित होनी चाहिए कि कोई भी वे शुरू कर दें- कहां से माल आया कहां जा रहा है यानी पूरा ये जो सर्विस दे रहे हैं तो इन सब चीजों के बारे में पूरी जानकारी ऐसी आइ0टी0 प्रणाली हो कि राज्यों के पास भी रहे ताकि कोई विवाद न हो और एक क्षण के लिए भी जो टैक्स लगाया जाय वह सही टैक्स लगे और किसी राज्य को क्षति न हो

तो इस चीज के लिए भी हमलोग अपने स्टैंड को रखेंगे । अभी ऐसी व्यवस्था भी की जानी आवश्यक है कि जी0एस0टी0 क्रेडिट उपलब्धता तथा कर पर की समस्या कैश क्रेडिंग के समाप्ति का लाभ केवल उद्योग जगत को ही नहीं, वरन् उपभोक्ताओं तक भी पहुंचे । राजस्व क्षति की भरपाई की ऐसी व्यवस्था तैयार की जानी चाहिए जिसके अधीन राज्यों के मौजूदा संसाधन के आकार में कमी नहीं हो । ये तो हम जनरल बाकी लोगों के हमारे यहां तो हमलोग जितना जी0एस0टी0 को समझे हैं हमारे यहां उसकी कोई गुंजाइश नहीं दिखती, लेकिन फिर भी अन्य राज्य जिनका कंसर्न है, हमलोग उनको भी सपोर्ट करेंगे, कर रहे हैं कि भाई उनको भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए । सेवाओं के मामले में प्लेस ऑफ सप्लाय रूल्स ऐसे बनाए जाएं ताकि कर व्यवस्था में विसंगति नहीं आए और ऐसे नियम गंतव्य के सिद्धांत पर आधारित हों । यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि जिस राज्य में उपभोग हो उसी राज्य में कर की प्राप्ति हो। मैंने इसको पहले ही बता दिया, लेकिन हमलोगों यह स्टैंड होगा इस बात को हम ऑन रेकार्ड रख रहे हैं कि किसी भी सूरत में जिस राज्य में, जिस चीज का उपभोग हो रहा है टैक्स वहां अवश्य लगे और अवश्य प्राप्त हो। इसके लिए ऐसी प्रणाली होनी चाहिए । हम जी0एस0टी0 का समर्थन इसलिए कर रहे हैं कि इसके कारण पूरी कर प्रणाली सरल होगी, पूरा टैक्सेशन सिस्टम बहुत ही सरल हो जायेगा और सभी हितधारकों को इसके अनुपालन में सहजता होगी, किंतु भविष्य में बननेवाले कानून एवं नियमों में ऐसी व्यवस्था न हो जिससे और जटिलता आ जाय, हमें इसका ध्यान रखना होगा । ये सब प्रिंसपल की बात है और कुछ प्रैक्टिकल बात है जिसका मैंने उल्लेख किया कि केन्द्र को राज्यों के अन्तर्गत दफ्तर खोलकर राज्य के व्यवसायियों से टैक्स वसूली के काम में या टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है । राज्य के माध्यम से हो.....क्रमशः।

टर्न- 09 /ज्योति

16-08-2016

क्रमशः

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : राज्य के माध्यम से हो और राज्य उनका हिस्सा भी वसूल करके उनके खाते में ट्रांसफर कर दे, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए तो आने वाले दिनों में, जब ये जी0एस0टी0, संविधान संशोधन, जब नोटिफाई हो जायेगा, 15 राज्यों से कम से कम पारित होना, मुझे तो उम्मीद है कि बहुत ज्यादा राज्यों से यह पारित होगा और मैं यह बता दूँ अध्यक्ष महोदय, आप इसके गवाह हैं कि मैं कितना सजग था जी0एस0टी0 प्रणाली का और जिस दिन हम केन्द्रीय वित्त मंत्री से मिले थे अन्य कार्य के लिए भी मिले थे उसमें उन्होंने इसकी भी चर्चा की तो हमने वहॉ भी कहा था कि भई हम तो कैपिंग के

पक्षधर नहीं है और आप इस बात का लेकर समझाईये कि भाई टैक्स का रेट इतना ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए कि कंज्यूमर को दिक्कत हो, लेकिन इसपर कोई बंधन नहीं रहना चाहिए तो बाहर निकलने के बाद भी हमने मीडिया को स्पष्ट रुप से कहा और आप सब जानते हैं कि जो पीरियड वह चल रहा था जो समय वह चल रहा था इसको लेकर जो बातचीत हो रही थी तो उस समय बिहार की तरफ से अपने स्टैण्ड को पुनः रखने का लाभ आखिर कौनसेंसस बनाने में मिला या नही मिला और ं यही नहीं जब राज्य साभा से यूनानिमस पास हुआ तो हमने केन्द्रीय वित्त मंत्री जी को बधाई दी और कहा कि लोक सभा में किस दिन पारित करने वाले हैं तो उन्होंने कहा कि संभवतः सोमवार तक जायेगा, हमने कहा जैसे ही पारित हो, हमलोगों को औपचारिक सूचना विधिवत जो होती है, वह तुरत दी जाय हमलोगों ने अपने सदन का सत्रावसान नहीं किया है और इसलिए सिर्फ सत्रावसान हम नहीं कर रहे हैं कि अगर वहाँ से पारित हो तो हमलोगों को कोई विशेष सत्र बुलाने की आवश्यकता न पड़े । इसलिए हमलोगों ने सत्रावसान नहीं किया और आज विशेष सत्र बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, यही मौनसून, वर्षाकालीन सत्र का एक दिन आज बैठे हैं, इन बातों पर चर्चा करने के लिए तो हमलोग अपनी तरफ से भी इस विषय पर सजग रहे, अब यह कौनसेन्सस हुआ एक तरह से सर्वसम्मति का वातावरण पैदा हुआ है । हम तो चाहेंगे कि भाई जिस उदारता के साथ, हमने केन्द्र को सहयोग किया है, उसी उदारता के साथ बिहार और बिहार जैसे कंज्यूमर स्टेट के साथ भी पूरे तौर पर उनका सहयोग होना चाहिए । हम तो यही अपेक्षा करेंगे और हमलोगो के जो कुछ आगे के दिनों में स्टैण्ड होंगे उसको भी हमने रख दिया है इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ यह मुझे विश्वास है, मुझे व्यक्तिगत रुप से भरोसा है कि यह देश के लिए भी उपयोगी होगा और राज्य के लिए भी उपयोगी होगा । इन्हीं शब्दों के साथ, मैं सामझता हूँ माननीय अधयक्ष महोदय, कि पूरा सदन एक है एक हमारे जो विधायक हैं, माननीय विधायक, वह अपना कुछ करते लहराते चले गए क्या बोल रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था पूरी बात ध्यान से सुने तब न । ध्यान से सुने तब पता चलेगा कि कौन चीज गरीब के हक में है और कौन चीज क्या है, लेकिन एक व्यक्ति चले गए लेकिन अभी जो सदन में जितने लोग उपस्थित हैं, मैं समझता हूँ कि इसमें किसी भी प्रकार का मतभेद हम सब लोगों में नहीं है इसलिए मेरा आग्रह होगा कि वैसे तो अंतिम वाक्य, अनुरोध का वाक्य, माननीय प्रभारी मंत्री जी का होगा, लेकिन मैं भी अपनी तरफ से सदन से दर्खास्त करुंगा कि इसे सर्वसम्मति से, इसका अनुसमर्थन करें ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, जिन शब्दों का प्रयोग करके माले के माननीय विधायक गए उन्हीं शब्दों का प्रयोग पहले गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु भी करता था और महोदय , इसलिए उनका भी यही एतराज था कि राज्यों के अधिकार का स्नैचिंग हो रहा है,

कम्पलीट राज्य के अधिकार का हरण-अपहरण हो रहा है, जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया जो मैं सुन रहा था तो महोदय, इसके भ्रम में आपलोग भी थे और इसमें प्रेम बाबू के भी लोग थे लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी बातों को रखा कि हमलोग सदा से इस स्टैण्ड के पक्षधर थे तो संपूर्ण बातों के बाद माननीय मुख्यमंत्री के संपूर्ण चीजों को सामने रखने के बाद जैसा कहा कि बाजपेयी जी के समय जब हमलोगों की पार्टी सरकार में थी, उस समय के एन0.डी0ए0 में अंडा पैदा हुआ, फूटते फूटते आज आया तो इसीलिए इसको सर्वसम्मति से पारति कर और फिर मैं सदन की ओर से माननीय मुख्यमंत्री को, राज्य हित के लिए इस बात के लिए बधाई देते हुए, अनुरोध करुंगा कि इसे सर्वसम्मति से पारित करें जैसे पार्लियामेंट ने किया ।

श्री नंद किशोर यादव : मुख्यमंत्री जी इतना बढ़िया भाषण दिए मुख्यमंत्री जी , ये काहे नींबू डालने का काम कर रहे, हैं आदत से लाचार हैं क्या ?

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : चूँकि प्रेम बाबू ने, ऐसा फालतू काम सब कह दिया इसलिए मुझको भी कहना पड़ा काहे के लिए इतना रंज हैं ?

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, हमलोग साथ है; इस बिल के साथ हैं ।

अध्यक्ष : अब आप लोग अगर आपस की अंताक्षरी बंद करिये तो संकल्प पारित हो ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' यह सभा भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के खण्ड (2) के परन्तुक (ख) एवं (ग) के अधीन संसद के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित '' संविधान (एक सौ बाईसवॉ संशोधन) विधेयक, 2014'' का अनुसमर्थन करती है । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

संसद के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित संविधान (एक सौ बाईसवॉ संशोधन) विधेयक, 2014 के अनुसमर्थन का संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

विधायी कार्य

राजकीय विधेयक

बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2016

श्री महेश्वर हजारी,मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय । ''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

श्री महेश्वर हजारी, मंत्री : महोदय, मैं इसे पुर:स्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

श्री महेश्वर हजारी, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार हो ।''

अध्यक्ष : बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 122 (1) के तहत माननीय सदस्य, श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव का विधेयक के सिद्धान्त पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है अतएव सिद्धान्त पर विमर्श होने के पश्चात् विचार का प्रस्ताव लिया जायेगा । क्या माननीय सदस्य श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव : मूव करेंगे । महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2016 के सिद्धान्त पर विमर्श हो ।''

महोदय, बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2016 सरकार ने सदन में लायी है, सरकार स्पष्ट करे कि उसमें पार्षदों की संख्या का निर्धारण 2011 की जनगणना के अनुसार किया जा रहा है या नहीं, यदि नहीं तो मात्र आरक्षण देने के लिए 2011 की जन गणना के आधार बनाने का औचित्य क्या है ? महोदय, जनसंख्या बढ़ रही है और पार्षदों की संख्या कम है इसलिए सरकार 2011 की जनगणना के आधार पर पार्षदों की संख्या निर्धारित करे ।

अध्यक्ष : अब जनमत जानने का प्रस्ताव । माननीय सदस्य श्री नितिन नवीन तथा श्री संजीव चौरसिया द्वारा विधेयक पर जनमत जानने हेतु परिचारित कराने का प्रस्ताव दिया गया है, क्या माननीय सदस्य नितिन नवीन अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री नितिन नवीन :जी मूव करेंगे , महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2016 दिनाँक 31 जनवरी,2017 तक जनमत जानने हेतु परिचारित हो । ''

महोदय, जिस प्रकार से आनन फानन में यह विधेयक लाया गया है, निश्चित रुप से नगर विकास विभाग में इसपर पहले विचार किया गया होता तो निश्चित रुप से, इसकी चर्चा 15 दिन पहले सत्र में हुयी होती । आज 2001 की

जनगणना के आधार पर आप 2007 का वार्ड का पुनगर्ठन करते हैं और आप आरक्षण के रोस्टर के लिए 2011 के जनगणना की बात करते हैं । क्रमशः

टर्न–10/विजय/ 16.08.2016

श्री नितिन नवीनः क्रमशः ..... तो निश्चित रूप से जिस विषय को लेकर आप पूरा संशोधन विधेयक ला रहे हैं उसकी धारा 12 और 13 को मिलाने का आप प्रयास कर रहे हैं और कहीं न कहीं मिलाने के स्वरूप में आप कहीं न कहीं जो आरक्षण के रोस्टर के नाम पर पुर्नगठन का काम नहीं कर रहे हैं इससे पूरी तरह से जो अल्पसंख्यक का पॉपुलेशन का बैलेंस अनबैलेंस्ड हो रहा है । कहीं न कहीं जो विषय था आज एक वार्ड पटना नगर निगम का आप ले सकते हैं अध्यक्ष महोदय । किसी वार्ड का पॉपुलेशन अगर 15 हजार है तो वहीं के बगल के किसी वार्ड का पॉपुलेशन 35 हजार 40 हजार है । तो यह जो अनबैलेंस है इस सिचुएशन को निश्चित रूप से पुर्नगठन करके इसको हम कर सकते थे।नगर विकास अगर पुर्नगठन करता तो जहां एक ओर वार्ड भी बढ़ता और कहीं न कहीं विकास की योजनाओं का भी निर्धारण सही रूप से हो पाता और इस अनबैलेंस को भी ठीक कर पाते । सरकार अब पुर्नगठन की ओर न घ्यान देकर केवल आरक्षण के रोस्टर को पालन करने के लिए जो विधेयक लायी है वह निश्चित रूप से हम सभी चाहेंगे कि इसको कम से कम 31 जनवरी तक जनमत जानने के लिए परिचारित किया ताकि आम जनता भी इस पर राय दे सके और आने वाले समय में इसको सही रूप के साथ वार्डो का पुर्नगठन हो सके ।

अध्यक्षः प्रश्न यह है किः

" बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2016" दिनांक 31 जनवरी, 2017 तक जनमत जानने हेतु परिचारित हो ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्षः प्रश्न यह है कि

"बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2016" पर विचार हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्षः अब मैं खंडशः लेता हूं ।

खंड 2 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि
"खंड 2 इस विधेयक का अंग बने ।"
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
खंड 2 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि
''खंड 1 इस विधेयक का अंग बने ।''
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
खंड 1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि
"प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।"
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि
''नाम इस विधेयक का अंग बने ।''
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
नाम इस विधेयक का अंग बना ।

<u>स्वीकृति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष: अब स्वीकृति का प्रस्ताव । प्रभारी मंत्री ।

श्री महेश्वर हजारी,मंत्री: मैं प्रस्ताव करता हूं कि:
"बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2016 स्वीकृत हो ।''

अध्यक्ष: श्री नंदकिशोर यादव ।

श्री नंदकिशोर यादव: महोदय, इस संशोधन में जिन बातों का जिक्र किया गया है, ठीक ही कहा गया है कि साहब हर दो टर्म के बाद आरक्षण का प्रावधान किया गया है और इसीलिए विसंगति हो जाती है आरक्षण भी लागू करें और परिसीमन भी करें यह कठिनाई मुझे समझ में आती है मुझे भी ठीक लगता है यह । लेकिन महोदय मुझे लगता है कि यह जो संशोधन आपने अभी लाया है आपको अभी नहीं लाना चाहिए था । क्योंकि आपने जो वार्डो का पुर्नगठन किया जिसमें नगर निकायों के वार्डो का पुर्नगठन हुआ उस समय पुर्नगठन में भारी कमी थी । महोदय, आपके घ्यान में होगा जो विधान सभाओं का

पुर्नगठन किया गया तो एक सिद्धांत अपनाया गया । वोटर की संख्या तय की गयी, आबादी तय की गयी और दस परसेंट आगे पीछे यह मानक मानकर विधान सभाओं का परिसीमन किया गया, पार्लियामेंट का परिसीमन भी उसी आधार पर किया गया । लेकिन जब आप अचानक इसको दस साल बाद आगे बढ़ाना चाहते हैं वार्डो के परिसीमन को तो आपको इस बात का विचार करना चाहिए था कि वर्तमान में जो वार्डो का परिसीमन है उसकी स्थिति क्या है । महोदय इतनी भारी विसंगति है मुख्यमंत्री महोदय आप जिस शहर के अदर रहते हैं पटना शहर के अंदर उसमें किसी एक वार्ड में 8 हजार वोटर है और किसी वार्ड में बगल के वार्ड में 40 हजार वोटर है । इस भारी विसंगति के बाद आप अगर यह कहते हैं कि दस साल तक परिसीमन नहीं करेंगे महोदय यह भारी असंगत बात है । और आप कई नये शामिल कर रहें हैं पटना निगम में अगर कई नये नगर निकाय गठित कर रहे हैं । आपने नगर पंचायत बनाया है नगर पर्षद बना रहें हैं कोई नगर निगम बना रहे हैं तो यह जो विसंगति है वार्डो के पुर्नगठन के समय वोटर की इस विसंगति को दूर करके आपको यह संशोधन लाना चाहिए था तब समीचीन होता बिना आपने विचार किये संशोधन लाया है इसका अर्थ है कि अगले दस साल तक किसी वार्ड में 8 हजार 10 हजार वोटर होगा किसी वार्ड में 40 से 50 हजार वोटर होगा इस विसंगति को आपको दूर करना चाहिए । इसलिए मेरा आग्रह होगा, मेरा निवेदन होगा आपसे कोई अभी समय बीता नहीं है । नगर निकाय के चुनाव होने हैं मई-जून में अप्रैल-मई में कोई समय बीता नहीं है नवम्बर-दिसम्बर में फिर आपका सदन शुरू होगा । मेरा आग्रह होगा कि आप एक बार फिर से सम्यक ढंग से वार्डो का परिसीमन करिये, समानुपातिक रूप से करिये दस परसेंट आगे पीछे करिये वह तो होता ही है, व्यवहारिक बात है लेकिन इतना भारी अंतर वार्डो में किसी में 8 हजार वोटर कहीं 40 हजार वोटर यह विसंगति आपको दूर करना चाहिए । दूर कर इस प्रस्ताव को लाना चाहिए । इस प्रस्ताव से हमारी असहमति नहीं है लेकिन इस विसंगति को बिना दूर किये हुए यह प्रस्ताव लाना कहीं से भी उचित नहीं है । मेरा आग्रह होगा मुख्यमंत्री महोदय से इस कठिनाई को समझिये और इसके आधार पर अपने निर्णय दीजिये । इतना ही याद रखिये ।

श्री प्रेम कुमार,नेता, विरोधी दल: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने चर्चा जो की है निश्चित रूप से पूरे राज्य में वार्डो के विसंगति की जो चर्चा हुई महोदय निश्चित तौर पर सरकार को फिर से विचार करके इसलिए जनमत जानने के लिए महोदय लाया गया है और साथ ही एक बात कहना चाहते हैं कि हमलोग लंबे समय से पंचायती राज का चुनाव हो चुका है निकाय का चुनाव होने जा रहा है । हमारा आग्रह सरकार से होगा कि आने वाले निकाय के चुनाव में जो नगर निगम हैं, नगर निकाय है नगर पर्षद है, एन0डी0ए0 की सरकार में महोदय जब हमलोग थे तो हमलोगों 20 परसेंट आरक्षण का प्रावधान किया था । हमारा आग्रह सरकार से होगा कि पिछड़े वर्गो के लिए जो आरक्षण है उसको भी सरकार

पुर्नविचार करके 30 परसेंट करे और जो महादलित परिवार के लोग हैं महोदय उनका भी आरक्षण सीमा सरकार बढ़ाने का काम करे तो संविधान सम्मत होगा हम सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे । पूर्व के समय में भी पंचायती राज चुनाव के बारे में चर्चा महोदय किया था सरकार से आग्रह किया था कि बदलते परिवेश में बहुत सारी जातियां पिछड़ी जाति में शामिल हुई हैं हम स्वागत करते हैं, महदलित परिवार की कई जातियां शामिल हुई हैं । हम माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे कि बदलते परिवेश में अतिपिछड़े वर्ग के लोगों के लिए और महादलितों के लिए आरक्षण का कोटा बढ़ाने पर भी सरकार विचार करे ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री ।

श्री महेश्वर हजारी,मंत्री: अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य स्थित शहरी स्थानीय निकायों के गठन उसके दायित्व एवं कार्य प्रणाली के निर्धारण हेतु बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 प्रभावी है । बदलते परिवेश एवं परिस्थतिजन कार्यो से उक्त अधिनियम की मूल भावनाओं को बरकरार रखते हुए समय सापेक्ष संशोधन की आवश्यकता होती रही है एवं फलस्वरूप संशोधन भी होते रहे हैं । नगर निकायों का आम निर्वाचन वर्ष 2017 के माह मई-जून में संभावित है । बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 12 में अनुसूचित जाति/जनजाति पिछड़े वर्गो आदि के लिए जनंसख्या के आधार पर प्रत्येक नगरपालिका में सदस्यों को कुल स्थानों का 50 प्रतिशत चक्रानुकम्रिक क्रम में आरक्षण का प्रावधान किया गया है । बिहार नगरपालिका संशोधन अधिनियम, 2009 के माध्यम से आरक्षण दो क्रमिक निर्वाचन के पश्चात करने का प्रावधान किया गया है । उक्त अधिनियम की धारा 13 में जनसंख्या के आधार पर नगर निकायों के वार्डो के न्यून्तम एवं अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है । धारा 2 (74) में जनसंख्या से अभिप्रेत है पिछली जनगणना जिसके सुंसंगत आंकड़े प्रकाशित हो चुके हैं । अभिनिश्चित जनसंख्या उक्त अधिनियम की धारा 13 के परंतुक में प्रावधान है कि प्रत्येक नगरपालिका के लिए प्रत्येक निर्वाचन की पूर्व पार्षद की संख्या राज्य सरकार द्वारा नियत की जायेगी । धारा 12 में प्रत्येक दो क्रमिक आम निर्वाचन के पश्चात आरक्षण का प्रावधान होने तथा धारा 13 के परन्तुक में प्रत्येक नगरपालिका के लिए प्रत्येक निर्वाचन के पूर्व पार्षदों वार्डो की संख्या नियत करने के प्रावधान के परस्पर विरोधाभाषी होने के फलस्वरूप व्यवहारिक एवं वैधानिक कठिनाईयां उत्पन्न हो रही हैं । साथ ही न्यायिक वाद भी माननीय पटना उच्च न्यायालय में दायर हो रहे हैं । फलस्वरूप धारा 13 के परन्तुक को प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता है एवं पंचायती राज विभाग द्वारा बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में इस आशय का संशोधन किया गया है कि जबतक वर्ष 2021 की जनगणना के आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते तबतक राज्य सरकार के लिए निवार्ची सदस्यों की संख्या का पुर्ननिर्धारण करना

आवश्यक नहीं होगा । इसी आधार पर पंचायती राज विभाग द्वारा पुराने परिसीमन के आधार पर पंचायत आम निर्वाचन 2016 सम्पन्न कराया गया है ।

क्रमशः .....

टर्न-11/बिपिन/16.8.16/

श्री महेश्वर हजारी, मंत्रीः ....क्रमशः... अतएव सरकार के स्तर पर एकरूपता की दृष्टि से नगर निकाय को आम निर्वाचन पुराने प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में वर्ष 2011 की प्रकाशित जनसंख्या के आधार पर आरक्षण कराने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 के विद्यमान परन्तुक को एक नए परन्तुक द्वारा निम्न रूप से प्रतिस्थापित किया जाना आवश्यक है परन्तु इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान में किसी बात के अन्तर्विष्टि हो तो भी जबतक वर्ष 2021 की जनगणना के प्रारंभिक आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते तब तक राज्य सरकार के लिए 2011 जनगणना पर विनिश्चित नगरपालिका क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर वार्डो की संख्या पुनःअवधारित करना आवश्यक नहीं होगा । अतएव बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 13 में संशोधन का प्रस्ताव है । अनुरोध है कि सदन बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2016 को सर्वसम्मति से पारित करने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि -

''बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2016 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2016 स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्षः इसके अलावा, संविधान संशोधन के अनुसमर्थन के क्रम में या इस विधेयक की स्वीकृति के संबंध में माननीय मंत्रिगण द्वारा कोई लिखित वक्तव्य दिया गया है तो वह प्रोसीडिंग का पार्ट बनेगा ।

(व्यवधान)

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दलः सरकार के द्वारा समय पर कार्रवाई नहीं की गई जिसके कारण समस्या खड़ी हुई है, निर्दोष लोगों को जेल भेजा जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है। हमारा आग्रह होगा सरकार से, सारे मामले की न्यायिक जांच कराने की मांग करते हैं। सरकार तुष्टिकरण की नीति पर चल रही है और उसकी वजह से कार्रवाई करने में सरकार ने विलम्ब किया है जिससे वहां लोग जेल जा रहे हैं । झूठा मुकदमा किया गया है। हम चाहेंगे कि सरकार तमाम मुकदमे को वापस ले और ....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, षोडश बिहार विधान का तृतीय सत्र दिनांक 29 जुलाई, 2016 से प्रारंभ होकर आज दिनांक 16अगस्त, 2016 को समाप्त हो रहा है । इस सत्र में कुल-06(छः) बैठकें हुई ।

आज दिनांक 16 अगस्त, 2016 को प्रभारी मंत्री वाणिज्य-कर विभाग द्वारा संसद के दोनों सदनों द्वारा यथापारित संविधान (एक सौ बाईसवां संशोधन) विधेयक, 2014 का अनुसमर्थन संबंधी संकल्प सदन में प्रस्तुत किया गया जो विचार-विमर्श के उपरान्त सदन द्वारा स्वीकृत हुआ तथा बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2016 भी सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

बिहार विधान सभा में उद्भूत तथा बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा यथापारित तथा महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमत-05(पाँच) विधेयकों का एक विवरण सभा सचिव द्वारा सभा पटल पर रखा गया ।

आज की कार्यवाही का पटना दूरदर्शन द्वारा सीधा प्रसारण किया गया । इससे जुड़े कर्मचारी एवं पदाधिकारीगण धन्यवाद के पात्र हैं ।

सत्र के संचालन में भरपूर तथा सौहार्दपूर्ण सहयोग के लिए सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों का मैं आभारी हूं ।

पत्र प्रतिनिधियों, समाचार एजेंसी, प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन जनमानस के बीच सदन की कार्यवाही को ले जाने का कार्य करते हैं, उन्हें साधुवाद देता हूँ ।

सभा के कार्य संचालन में सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा बिहार सरकार के पदाधिकारियों/कर्मचारियों सहित आरक्षी बल के जवानों ने तत्परता, लगन और निष्ठा से अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन कुशलतापूर्वक किया, इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं ।

इससे पहले कि सदन स्थगित हो, मुझे सदन को एक दुःखद सूचना देनी है ।

शोक - प्रकाश

स्वर्गीय अनवारूल हक

अध्यक्ष : बिहार विधान सभा तथा लोक सभा के पूर्व सदस्य श्री मुहम्मद अनवारूल हक का निधन दिनांक 12 अगस्त, 2016 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 69 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय अनवारूल हक सीतामढ़ी जिला के सोनवर्षा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1980 में बिहार विधान सभा के सदस्य तथा शिवहर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1999 में 13वीं लोक सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय

के उत्थान के लिए कई संस्थाओं का निर्माण किया । वे गरीबों एवं जरूरतमंदों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहा करते थे । हम उनके निधन से दु:खी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

अब हमलोग एक मिनट तक मौन खड़े होकर दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना करें ।

(एक मिनट का मौन)

मैं अपनी तथा सम्पूर्ण सदन की ओर से शोक संतप्त परिवार के पास संदेश भेजवा दूँगा ।

अब सभा की बैठक अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित की जाती है ।

परिशिष्ट

1

संविधान (एक सौ बाईसवाँ) संशोधन विधेयक, 2014

वस्तुओं तथा सेवाओं पर केन्द्र एवं राज्यों द्वारा लगाये जाने वाले अधिकांश करों को एक ही प्रकार के कर में समाहित करते हुये जी०एस०टी० का ढ़ांचा तैयार किये जाने का प्रस्ताव है। वस्तुओं तथा सेवाओं को करारोपण के दृष्टिकोण से अलग–अलग मानने के कारण भारत के कर प्रणाली में व्याप्त जटिलता काफी हद तक कम की जा सकेगी। साथ ही, केन्द्र तथा राज्यों के करारोपण के अधिकारों पर मौजूदा सीमाएँ कम होंगी एवं भारतीय कर प्रणाली को एकीकृत किये जाने की दिशा में जी०एस०टी० एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगी। यह व्यवस्था देश में साझा बाजार के विकास में सहायक सिद्ध होगी एवं इससे वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रवाह भी काफी हद तक उन्मुक्त हो सकेगा।

जी०एस०टी० के प्रशासन हेतु नियमों का सरलीकरण संभावित है एवं इस कारण व्यापार जगत पर अनुपालन का भार कम होगा। नई व्यवस्था का प्रशासन उन्नत आई०टी० प्रणाली द्वारा किया जाना प्रस्तावित है, इस कारण कर प्रशासन तथा करदाता के बीच सीधे सम्पर्क में काफी कमी आयेगी जिससे कर विवादों की संख्या भी घटने की संभावना है। जी०एस०टी० के लिए प्रस्तावित आई०टी० प्रणाली के अधीन किसी वस्तु अथवा सेवा के निर्माण से अंतिम खपत की सम्पूर्ण श्रृंखला का लेखा–जोखा रखा जा सकेगा एवं इस कारण कर आधार विस्तृत हो सकेगा एवं कर राजस्व में वृद्धि होगी तथा राजस्व क्षरण (**revenue leakage**) में भी कमी आयेगी।

जी०एस०टी० के कारण राजस्व में वृद्धि होगी, कर प्रणाली में जटिलता कम होगी, **Ease of Doing Business** में वृद्धि होगी, कर प्रशासन तथा कर अनुपालन में पारदर्शिता आयेगी तथा सम्पूर्ण राष्ट्र में कर व्यवस्था एकीकृत होने के कारण साझा बाजार के विकास में मदद् मिलेगी, अतः इन्ही सब कारणों से हम जी०एस०टी० का समर्थन प्रारंभ से ही करते आ रहे हैं।

परंतु नई कर प्रणाली की रूप–रेखा को अंतिम रूप देने के क्रम में अभी भी कई मुद्दे है जिनपर केन्द्र एवं राज्यों को सहमति बनानी है। अतः राज्य हित में एवं जी.एस.टी. के बेहतर प्रबंधन के लिए निम्न बातों पर ध्यान देना आवश्यक होगाः–

1. व्यापार जगत को किसी भी हाल में केन्द्र तथा राज्य सरकार दोनों के पदाधिकारियों के पास जाने की आवश्यकता ना हो एवं कर प्रशासन को भी कर की ही भांति एकीकृत किया जाना होगा अन्यथा इस महत्वपूर्ण कर सुधार का उचित लाभ हमें नहीं मिल सकेगा तथा साझा बाजार के विकास में बाधाएँ खड़ी होंगी। ऐसे व्यापारी जो वर्तमान में केन्द्र सरकार के कर प्रशासन के दायरे में नहीं हैं उन पर किसी भी परिस्थिति में केन्द्र सरकार का प्रशासनिक नियंत्रण

स्थापित नहीं किया जाय। ऐसे व्यापारियों के मामले में राज्य के क्षेत्रान्तर्गत केन्द्रीय जी०एस०टी० का भी संग्रहण एवं प्रशासन राज्य सरकार के तंत्र द्वारा ही किया जाय एवं इस हेतु विक्रय की एक सीमा (**threshold**) निर्धारित हो जिससे अन्तर्गत पड़ने वाले व्यापारियों पर राज्यों का ही नियंत्रण हो। साथ में कर प्रशासन में लगे केन्द्र एवं राज्य के पदाधिकारियों का भी युक्तिकरण आवश्यक होगा।

2. कर दरों के निर्धारण में इस बात का ध्यान अवश्य रखा जाय कि इनके कारण मुद्रा स्फिति में वृद्धि न हो परंतु वर्तमान राजस्व स्तरों में कमी भी न हो।
3. इनपुट टैक्स क्रेडिट की श्रृंखला को अबाध गति से चलाया जाना आवश्यक है परंतु यह ध्यान भी रखा जाना चाहिए कि व्यापार जगत द्वारा इसका दुरूपयोग न हो।
4. राज्य जी०एस०टी० के भुगतान में प्रयोग किये जाने वाले अन्तर्राज्यीय जी०एस०टी० क्रेडिट के प्रशासन पर राज्यों का नियंत्रण आवश्यक है ताकि इसके माध्यम से राज्यों को राजस्व की अल्पकालिक भी क्षति न हो। इस दृष्टि से जी.एस.टी. प्रणाली में राज्यों को अधिकार प्राप्त होने चाहिए।
5. इसके प्रशासन हेतु आई०टी० प्रणाली का इस प्रकार निर्माण किया जाय कि बैंक, बिजली कम्पनियाँ, रेल, टेलिकॉम जैसे क्षेत्रों की संस्थाओं के डाटाबेस से इसे जोड़ा जा सके एवं मूल्य संवर्द्धन के सभी आयामों को जी०एस०टी० नेटवर्क में लाया जा सके।
6. ऐसी व्यवस्था भी की जानी आवश्यक है कि जी०एस०टी०, क्रेडिट उपलब्धता तथा कर पर कर की समस्या (**cascading**) की समाप्ति का लाभ केवल उद्योग जगत को ही न हो वरण् उपभोक्ताओं तक भी पहुँचे।
7. राजस्व क्षति के भरपाई की ऐसी व्यवस्था तैयार की जानी चाहिए जिसके अधीन राज्यों के मौजूदा संसाधन के आकार में कमी न हो।
8. सेवाओं के मामले में "**place of supply rules**" ऐसे बनाये जायें ताकि कर व्यवस्था में विसंगति नहीं आये और ऐसे नियम गंतव्य के सिद्धांत पर आधारित हों। यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि जिस राज्य में उपभोग हो, उसी राज्य को कर की प्राप्ति हो।
9. हम जी.एस.टी. का समर्थन इसलिए कर रहे है कि इसके कारण पूरी कर प्रणाली सरल होगी एवं सभी हितधारकों को इसके अनुपालन में सहजता होगी। किन्तु भविष्य में बनने वाले कानून एवं नियमों में ऐसी व्यवस्था न हो जिससे और जटिलता आ जाए। हमे इसका ध्यान रखना होगा।